समझ का माध्यम

राष्ट्रीय परिसंवाद 2008–2010 पर आधारित

हम भी स्कूल में होते

अपनी ज़ुबान में सुनते
समझते
कह पाते
नई पौध उगाते

समझ का माध्यम

राष्ट्रीय परिसंवाद 2008-2010 पर आधारित

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

32084 – समझ का माध्यम
राष्ट्रीय परिसंवाद 2008–2010 पर आधरित

ISBN 978-93-5007-126-7

प्रथम संस्करण
अक्तूबर 2010 कार्तिक 1932
पुनर्मुद्रण
अक्तूबर 2015 अश्विन 1937
जून 2021 ज्येष्ठ 1943
अगस्त 2024 श्रावण 1946

PD 1T BS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2010

₹ 65.00

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय
एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 **फोन : 011-26562708**

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 **फोन : 080-26725740**

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 **फोन : 079-27541446**

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकटः धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 **फोन : 033-25530454**

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781021 **फोन : 0361-2674869**

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा ताज प्रिंटर्स, 68/6ए, नज़फगढ़ रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, नजदीक कीर्ति नगर मैट्रो स्टेशन, नयी दिल्ली 110 015 द्वारा मुद्रित।

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	*अनूप कुमार राजपूत*
मुख्य उत्पादन अधिकारी	:	*अरुण चितकारा*
मुख्य संपादक	:	*बिज्ञान सुतार*
मुख्य व्यापार प्रबंधक	:	*अमिताभ कुमार*
संपादक	:	*नरेश यादव*
सहायक उत्पादन अधिकारी	:	*दीपक कुमार*

परिवर्द्धित संस्करण
2024

आमुख

बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मूलतः भाषा शिक्षा होती है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने एक बार फिर मातृभाषा में शिक्षण को पुरजोर ढंग से प्रस्तावित किया है। पिछले सभी शिक्षा संबंधी सुझावों में भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण की बात की जाती रही है। भारत एक बहुभाषी देश है। इसलिए सभी बच्चों की शिक्षा को सहजता और अबाध गति से आगे ले जाने के लिए भारतीय भाषाओं को शिक्षण का माध्यम बनाना हमारी आवश्यकता है। मातृभाषा में शिक्षण सभी विषयों को मजबूत आधार प्रदान करने में सहायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ग्रेड-5 तक मातृभाषा माध्यम में ही शिक्षा हो। प्रयास यह भी हो कि यह ग्रेड-8 और उससे आगे की कक्षाओं में भी जारी रहे। बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और अन्य विषयों में मातृभाषा में उत्कृष्ट पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। इससे बच्चों की भाषा और स्कूली भाषा के बीच अंतराल कम होगा और भाषाओं के बीच मजबूत पुल निर्मित होगा। इसका आधार मातृभाषा होगी।

इस महती योजना में सहायक देश के विभिन्न विशेषज्ञों तथा भाषा शिक्षा विभाग की भूमिका महत्त्वपूर्ण है जिसके लिए उन सभी का धन्यवाद। आशा है यह पुस्तिका बच्चों की शिक्षा पर काम करने वाले विभिन्न राज्यों के योजनाकारों के लिए एक आधार पुस्तिका के रूप में सहायक होगी।

दिनेश प्रसाद सकलानी
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

नयी दिल्ली
मार्च 2024

प्रथम संस्करण
2010

आमुख

बच्चों के जीवन और उनकी शिक्षा में भाषा की भूमिका उपनिवेश रह चुके समाजों में अनेक प्रकार की विसंगतियों से घिरी रही है। इन विसंगतियों पर विचार करने के प्रयास भी प्रायः सामाजिक मान्यताओं और राजनीतिक विवादों से घिर जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षा संबंधी भाषा-नीति काफी लंबे समय से चर्चा और शोध दोनों के दायरों से बाहर रही है। इस स्थिति को बदलने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिषद ने 'समझ का माध्यम' शीर्षक से गोष्ठियों की श्रृंखला का आयोजन किया था। उदयपुर, पटना, वाराणसी और दिल्ली में आयोजित की गईं इन गोष्ठियों का फोकस विद्यालय के दैनिक जीवन में बच्चों के भाषायी अनुभवों की विवेचना पर था। कोशिश थी कि भाषा के प्रयोग में शिक्षा नीति की एक अर्से से अवरुद्ध पड़ी बहसें नये सिरे से दोबारा शुरू हों। यह पुस्तक इस कोशिश को आगे बढ़ाने के इरादे से प्रकाशित की जा रही है।

पुस्तक की विषयवस्तु चारों गोष्ठियों में उठाए गए प्रश्नों और उनका उत्तर तलाशने के लिए इस्तेमाल किए गए तर्कों की मदद से रची गई है। हमें आशा है कि इस पुस्तक के जरिए बच्चों की शिक्षा से सरोकार रखने वाले नागरिक - जिनमें शिक्षक, उनके प्रशिक्षक, अधिकारी, जन-प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता और माता-पिता शामिल हैं - शिक्षण को भाषा के सवाल पर सोचने और संवाद चलाने के लिए उत्साहित महसूस करेंगे। ऐसा संवाद आज की ऐतिहासिक आवश्यकता है। शिक्षा के अधिकार के कानून ने बच्चे की मातृभाषा के महत्त्व को पुनर्स्थापित करने की ताजा कोशिशें की हैं। इस कदम में शिक्षा के औपनिवेशिक इतिहास की विरासत से उत्पन्न मानसिक और सामाजिक जकड़न को दूर करने की शक्ति है। जाहिर है, किसी भी कानून में निहित शक्ति को अभिव्यक्त होने में सामाजिक और संस्थागत सहयोग की जरूरत होती है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का प्रचलन समकालीन यथार्थ भर नहीं है, एक जटिल सांस्कृतिक संरचना भी है। इसे संवादपरक चेतना के दायरे में लाकर ही किसी बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में बदलाव की दिशा और प्रकृति को लेकर पर्याप्त संकेत दिए गए थे। इन संकेतों का विस्तृत खुलासा भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी की पढ़ाई से संबंधित राष्ट्रीय फोकस समूहों के प्रतिवेदनों में किया गया है। ये दोनों दस्तावेज कक्षा में शिक्षण के माध्यम को बच्चे की समझ के स्वाभाविक विकासक्रम के मनोभाषावैज्ञानिक संदर्भ में रखते हैं।

इस संदर्भ का एक महत्वपूर्ण आयाम भारत का बहुभाषिक वातावरण है। हमारे बच्चे जन्म से ही बहुभाषिक माहौल में जीते हैं और इस माहौल में निहित लोकसर्जना को अपने स्वाभाविक बौद्धिक विकासक्रम में ग्रहण करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम शिक्षा-व्यवस्था में भाषा की पढ़ाई और माध्यम-भाषा के सवाल को लेकर व्याप्त जड़ता को इस वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में रखें और समझें।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक भाषा संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों को नए सिरे से जाँचने के लिए एक आधार पत्र की भूमिका निभाएगी। परिषद् की ओर से मैं उन सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने 'समझ का माध्यम' गोष्ठी- श्रृंखला में भाग लिया। गोष्ठियों की चर्चाओं को संग्रहित करके अथक परिश्रम के साथ उन्हें इस पुस्तक का रूप देने के लिए मैं भाषा विभाग की डॉ. संध्या सिंह और डॉ. कीर्ति कपूर का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भाषा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रामजन्म शर्मा के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने गोष्ठी- श्रृंखला के कार्यक्रम का उत्साहपूर्वक प्रबंधन किया। मुझे आशा है कि इस पुस्तक के प्रचार-प्रसार से राज्य स्तरीय संस्थाएँ भाषा से जुड़े प्रश्नों पर गहन विचार करने की प्रेरणा पाएँगी।

कृष्ण कुमार
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली
4 मार्च 2010

प्रस्तावना

भाषा हमारे जीवन एवं संस्कृति में अपरिहार्य स्थान रखती है और भाषा ही संस्कृति को आकार देती है। यह हमारी अस्मिता और पहचान भी है तथा मातृभाषा में शिक्षण बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को समृद्ध करता है।

'समझ का माध्यम' शीर्षक पुस्तक 2008-2010 के बीच हुए देशव्यापी विचार-विमर्श के आधार पर मूल रूप से हिंदी में तैयार की गई थी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं को शामिल करते हुए वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि पूरे देश की शिक्षण संस्थाओं तक इस पुस्तक की पहुँच उन्हीं की भाषा में हो इसलिए मूल रूप से हिंदी में तैयार इस पुस्तक को अंग्रेजी सहित 23 भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से सभी तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह पुस्तक इस कोशिश को आगे बढ़ाने के इरादे से प्रकाशित की जा रही है। पुस्तक की विषयवस्तु चारों गोष्ठियों में उठाए गए प्रश्नों और उन पर गहन विचार-विमर्श की मदद से रची गई है।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक भाषा संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में नए सिरे से भूमिका निभाएगी। परिषद की ओर से मैं उन सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने 'समझ का माध्यम' गोष्ठी-शृंखला में भाग लिया। हम इस महती योजना में प्रेरक तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के विशेष आभारी हैं, जिनके निर्देशन में यह कार्य संभव हुआ।

संध्या सिंह
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
भाषा शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

पुस्तक निर्माण समिति

लेखन एवं समन्वयन

संध्या सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष,भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी.

सहयोग

कीर्ति कपूर, प्रोफेसर, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी.

- शिक्षा का माध्यम अगर मातृभाषा हो तो भाषिक और सांस्कृतिक दूरियों को पाटने में मदद करेगी। बच्चे की घर की भाषा और स्कूल की भाषा को जोड़ना स्कूल की पहली भूमिका होनी चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा एक मायने में भाषा शिक्षण है। यहाँ तक कि गणित, पर्यावरण और समाज की प्रारंभिक जानकारी भी मातृभाषा में ही अच्छी तरह से हासिल की जा सकती है।
- मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा सभी स्तरों पर जारी रहनी चाहिए क्योंकि इन भाषाओं में क्षमता के विकास से बच्चे के मानसिक विकास और संप्रेषण के सभी माध्यम खुले रहते हैं, जिससे आपसी संबंध स्वस्थ होते हैं, साथ ही अवधारणात्मक स्पष्टता भी बढ़ती है।
- शुरुआती शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में हो तो बच्चे की पूर्व जानकारी, उसकी भाषिक क्षमता और मानसिक विकास का सही इस्तेमाल हो सकेगा।
- हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि बच्चे की घर की भाषा, आस-पास के वातावरण की भाषा और स्कूल की भाषाओं के बीच एक जुड़ाव या पुल बन सके। यहाँ तक कि अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों में भी बच्चे की मातृभाषाओं को मध्यस्थ भाषा के रूप में बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना स्कूल बदले आवाजाही हो सके।
- हर संभव यह कोशिश होनी चाहिए कि स्कूली शिक्षा के दौरान बहुभाषी शिक्षा को भी बढ़ावा मिले।

– भारतीय भाषाओं का शिक्षण (आधार पत्र), एन.सी.ई.आर.टी.

प्रथम संस्करण

आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् भाषा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली; यूनीसेफ, पटना; आर.आई.ई., भुवनेश्वर; आर.आई.ई., मैसूर; आर.आई.ई., अजमेर; एस.सी.ई.आर.टी., पटना; विद्या भवन सोसाइटी, उदयपुर; काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के विषय-विशेषज्ञों की आभारी है।

अनीता रामपाल, *प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विभाग (सी.आई.ई), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली; अरुण कमल, *प्रोफ़ेसर*, पटना विश्वविद्यालय, पटना; रमाकांत अग्निहोत्री, *प्रोफ़ेसर*, भाषा विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली; रोहित धनकर, *निदेशक*, दिगंतर, जयपुर; एच. के. दीवान, *कार्यक्रम निदेशक*, विद्या भवन सोसाइटी, राजस्थान; राजेश सचदेवा, *प्रोफ़ेसर*, सी.आई.आई.एल, मैसूर; हसन वारिस, *भूतपूर्व निदेशक*, एस.सी.ई.आर.टी., पटना; प्रियदर्शन, समाचार संपादक, एन.डी.टी.वी. इंडिया, नयी दिल्ली; अवधेश प्रधान, *प्रोफ़ेसर* हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी; अहमद सज्जाद, भूतपूर्व *प्रोफ़ेसर*, रांची विश्वविद्यालय, रांची; शुभा राव, *संयोजक*, महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी; रियाज़ अहमद, *उप-कुलपति*, विद्या भवन सोसाइटी, राजस्थान; प्रेमपाल शर्मा, *संयुक्त सचिव*, रेल भवन, रेल मंत्रालय, नयी दिल्ली; सदानंद शाही, *प्रोफ़ेसर*, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी; ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, *प्राचार्य*, तपेन्दु इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़; एस. रघुनाथन, भूतपूर्व *शिक्षा सचिव*, दिल्ली सरकार; अपूर्वानंद, *प्रोफ़ेसर*, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय; राजेश भूषण, *सचिव*, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पटना; शारदा कुमारी, *वरिष्ठ प्रवक्ता*, एस.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली; उषा शर्मा, *रीडर*, आर.आई.ई., अजमेर; नूतन झा, *शिक्षक*, मीराम्बिका विद्यालय, नयी दिल्ली; मणिन्द्र नाथ ठाकुर, एसोसिएट *प्रोफ़ेसर*, जे.एन.यू.; प्रो. कृष्ण कुमार, *निदेशक*, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली; रामजन्म शर्मा, *प्रोफ़ेसर* एवं अध्यक्ष, भाषा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली; ए.के. मिश्रा, *प्रोफ़ेसर*, एन.ई.आर.आई.ई., शिलांग; संध्या सिंह, *रीडर*, भाषा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली; कीर्ति कपूर, *वरिष्ठ प्रवक्ता*, भाषा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली के प्रति परिषद् कृतज्ञता ज्ञापित करती है।

परिषद् उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान तथा दिल्ली के शिक्षक, शिक्षक-प्रशिक्षक तथा पुस्तक के विकास के विभिन्न चरणों में सहयोग के लिए रुचि सैनी व नरेन्द्र वर्मा, *डी.टी.पी. आपरेटर*, राधा, *कॉपी एडीटर* और धनंजय सिंह तथा उपेंद्र सिंह सत्यार्थी, *प्रोजैक्ट फैलो* की भी आभारी है।

परिवर्द्धित संस्करण

समन्वयन के लिए डॉ. संध्या सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी.; समीक्षा के लिए श्री मदन कश्यप, कवि एवं साहित्यकार तथा डॉ. रचना सिंह, प्रोफ़ेसर हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, जितिन कुमार (कनिष्ठ परियोजना सहायक); नीलम कुमारी (कनिष्ठ परियोजना सहायक) और अमजद हुसैन (ग्राफिक डिज़ाइनर) का भी योगदान रहा है।

विषय सूची

आमुख *(परिवर्द्धित संस्करण)* iii

(प्रथम संस्करण) v

प्रस्तावना vii

1. शिक्षा संबंधी दस्तावेज़ों में भाषा **1-10**

- शिक्षा आयोग की रिपोर्ट: स्कूली पाठ्यचर्या-1964-66
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986
- क्रियान्वयन का कार्यक्रम-1992
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-1988, 2000
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

2. भाषा और समझ **11-18**

- बच्चे की समझ और भाषा
- समझ के आधार के रूप में भाषा
- भाषा और सामाजिक समता
- बच्चे की अस्मिता का सवाल
- सार्थक शिक्षा के प्रयास

3. बहुभाषिकता **19-28**

- बहुभाषिकता का उद्देश्य
- बच्चे की भाषा क्षमता
- सार्वभौमिक व्याकरण की परिकल्पना
- बहुभाषिकता और अल्पसंख्यक तथा आदिवासी भाषाएँ
- बहुभाषिकता और दक्षिण भारतीय भाषाएँ
- बहुभाषिकता और अंग्रेज़ी की कक्षा
- बहुभाषिक कक्षा
- बहुभाषिकता की चुनौतियाँ

4. विषयों के केंद्र में भाषा **29-41**

- इतिहास के झरोखे से
- सभी विषयों का अध्यापक भाषा का अध्यापक है
- चिंतन की आजादी और मौलिकता का सवाल
- भाषा और अन्य विषय
- तकनीकी शब्दावली और बच्चे की समझ
- उच्च शिक्षा और अन्य विषय

5. भाषाओं में संवाद **42-47**

(संदर्भ : अंग्रेज़ी और हिंदी)

- अंग्रेज़ी और हिंदी का संबंध
- सन् 1967 के बाद
- सन् 1987 का दौर
- बदलाव का नया दौर
- अंग्रेज़ी के विकास का इतिहास
- नए शब्द गढ़ने की जरूरत

6. मुद्दे और चुनौतियाँ **48-54**

- शिक्षक की तैयारी
- सामाजिक तैयारी
- प्रशासनिक तैयारी

परिशिष्ट - 1 **55-56**

संदर्भ **57-58**

1

शिक्षा संबंधी दस्तावेजों में भाषा

- **शिक्षा आयोग की रिपोर्ट: स्कूली पाठ्यचर्या–1964-66**
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968**
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986**
- **क्रियान्वयन का कार्यक्रम–1992**
- **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–1988, 2000**
- **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005**
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020**

हमारे दो होंठ हैं। दोनों मिलते हैं। ज़ुबान के साथ मिलकर एक लय में संचालित होते हैं तो भाषा बनती है। एक हिले दूसरा स्पंदित ही न हो तो संवाद असंभव होगा। (भाषा पर एक कवि की दृष्टि) 1971 की गणना के अनुसार हमारे देश में लगभग 1652 भाषाएँ हैं। उनमें केवल 47 भाषाएँ ही स्कूल में बच्चों की समझ का माध्यम बन सकी हैं (**स्रोत:** भारतीय भाषाओं का शिक्षण-2005)। बाकी अब भी बिना हिले खामोश हैं। संभवतः आज इनमें से बहुत-सी भाषाओं का अस्तित्व नहीं होगा। क्या यह खामोशी केवल कुछ भाषाओं के माध्यम न बन सकने की खामोशी है? या यह खामोशी कई संस्कृतियों, कई समाजों, कई भाषाओं और करोड़ों बच्चों के हमेशा के लिए खामोश होने का इशारा है। सोचना होगा।

हमें सोचना होगा कि कोई भी भाषा अपनी सहयोगी भाषाओं के साथ ही विकसित होती है। अगर अभी केवल हिंदी की बात कहें तो हमें यह भी सोचना होगा कि हिंदी कई क्षेत्रीय भाषाओं से मिलकर बनी है। सभी साथी भाषाओं के साथ चहचहाती, कदम बढ़ाती भाषा में रचे-बसे बच्चों को उनकी अपनी ज़ुबान में सुनना होगा। हमारी बहुत-सी खामोश भाषाएँ इंतज़ार में हैं एक ऐसी पहल की जब दोनों होंठ मिलें (बच्चों की समझ और भाषा का तालमेल हो) और भाषा में जनतांत्रिक स्थान बने।

आज़ादी के बाद के पिछले सारे शिक्षा संबंधी दस्तावेज़ों में मातृभाषा को समझ के माध्यम (खासतौर से प्राथमिक शिक्षा) के रूप में लागू किए जाने की बात कही

गई और बच्चों की समझ में सहायक उनकी अपनी भाषा, उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति को महत्त्व दिया गया। नीचे विभिन्न दस्तावेज़ों में दिए गए भाषा संबंधी सुझावों को दिया जा रहा है:

शिक्षा आयोग की रिपोर्ट: स्कूली पाठ्यचर्या – 1964-66

आज हमें प्राथमिक शिक्षा में जिस आधारभूत प्रश्न का समाधान करना है, वह है– मातृभाषा में अच्छी तरह पढ़ाना और निरक्षरता समाप्त करना। उद्योग की दृष्टि से उन्नत देशों में भी, पहले प्राथमिक शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम केवल एक भाषा के अध्ययन पर आधारित होता था। शिक्षा के विकसित होने और आर्थिक स्थिति में समृद्धि के आने के बाद ही, उन्होंने प्राथमिक अवस्था में दूसरी भाषा शुरू की।

* * *

हमारा विश्वास है कि अंग्रेज़ी जैसी विदेशी भाषा सीखने से पहले मातृभाषा पर पर्याप्त अधिकार हासिल कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अवर प्राथमिक कक्षाओं में, जिनमें लाखों छात्रों का नामांकन होता है, अंग्रेज़ी के प्रभावी शिक्षण के लिए बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी; लेकिन वह उपलब्ध नहीं है। यदि उपलब्ध हो जाए तो भी इस कार्यक्रम से शिक्षा के लिए नियत की गई निधि पर बहुत बोझ पड़ेगा। हमारी राय में, यह बहुत बड़ा कार्य है और व्यर्थ में इसके पीछे पड़ने पर स्कूल अवस्था पर अंग्रेज़ी का स्तर उठने की बजाय गिर जाएगा। इसलिए हम सिफारिश करते हैं कि विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेज़ी का अध्ययन कुछ-एक स्कूलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू करने के सिवाय, पाँचवीं कक्षा से पहले शुरू नहीं होना चाहिए।

— शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, 1964-66, पृष्ठ 218-219

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968

भारतीय भाषाओं और साहित्य का समुचित विकास और शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास एक दूसरे पर निर्भर है। इसके अभाव में लोगों की सृजनात्मक ऊर्जा का विकास नहीं हो सकेगा, शिक्षा के स्तर में इज़ाफा नहीं होगा, लोगों तक ज्ञान की पहुँच नहीं होगी और पढ़े-लिखे तथा आम जनता के बीच की खाई ऐसी ही बनी रहेगी; भले ही बढ़े नहीं पर कम नहीं होगी। कई भाषाएँ पहले से ही शिक्षा के माध्यम के रूप में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर प्रयोग की जा रही हैं। उच्च शिक्षा में भी इसे लागू किए जाने की ज़रूरत है।

हिंदी: हिंदी के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। धारा 351 को ध्यान में रखते हुए संपर्क भाषा के रूप में तथा भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी को विकसित किए जाने की ज़रूरत है। गैर-हिंदी प्रदेशों में जहाँ कहीं भी उच्च शिक्षा के लिए हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया जा रहा है, उसे बढ़ावा देना चाहिए। (नोटः यह बात सभी भारतीय भाषाओं के संदर्भ में हो सकती है।)

अंतरराष्ट्रीय भाषाएँ: अंग्रेज़ी और अन्य अंतरराष्ट्रीय भाषाओं की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी। विशेष रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का ज्ञान लगातार बढ़ रहा है। इस विकास के साथ भारत को मिलकर ही नहीं चलना है बल्कि उस विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी देना है। इस उद्देश्य के लिए अंग्रेज़ी के ज्ञान को विशेष रूप से मजबूत बनाना होगा।

— राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968, पृष्ठ 3-4

त्रिभाषा सूत्र की बात भी 1968 की नीति में बल देकर कही गई, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) में इस प्रकार रखा गया है—

त्रिभाषा सूत्र

- **प्रथम भाषा**
  - स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा।
- **द्वितीय भाषा**
  - हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेज़ी, और
  - गैर-हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा हिंदी या अंग्रेज़ी होगी।
- **तृतीय भाषा**
  - हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेज़ी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा, जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो।
  - गैर-हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेज़ी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो।

— भारतीय भाषाओं का शिक्षण–आधार पत्र, पृष्ठ 13

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986

1986 की शिक्षा नीति ने 1968 की शिक्षा नीति के आधार पर भाषा शिक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की है। यह नीति उच्च शिक्षा के स्तर पर भी क्षेत्रीय भाषा को ही माध्यम भाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर देती है; त्रिभाषा सूत्र को पुरजोर तरीके से लागू किया जाए; शिक्षा में हर स्तर पर बच्चों के भाषिक विकास पर ध्यान दिया जाए। अंग्रेज़ी और अन्य विदेशी भाषाओं की पढ़ाई की सुविधा मुहैया कराई जाए; संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को विकसित किया जाए जैसा कि संविधान की धारा 351 में निहित है। ...एक भाषा से दूसरी भाषा में किताबों के अनुवाद तथा द्विभाषी और बहुभाषी शब्दकोशों पर गंभीरता से काम किए जाने की ज़रूरत है।

— क्रियान्वयन का कार्यक्रम-1992, पृष्ठ 94

1986 की नीति के क्रियान्वयन के सुझावों में भारतीय भाषाओं के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं।

- आधुनिक भारतीय भाषाओं में पाठ्यसामग्री/संदर्भ पुस्तकें तैयार कर प्रकाशित की जाएँ।
- विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जाए।
- पाठ्यपुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों के अनुवाद अंग्रेज़ी से भारतीय भाषाओं में किए जाएँ। किए जाने वाले कार्यों की निरंतर निगरानी हो।

समझ के माध्यम की दृष्टि से भी ये सुझाव ध्यान देने योग्य हैं–

पटनायक-1986 (अ)

- स्कूली शिक्षा के माध्यमिक या उच्चतर स्तर पर शिक्षा का माध्यम, धीरे-धीरे क्षेत्रीय भाषा, राज्य स्तरीय भाषा, हिंदी या अंग्रेज़ी हो सकता है।
- हमारे अनुसार प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः भाषा-शिक्षा है इसलिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी अनिवार्य विषयों के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए।
- मनुष्य भाषाओं को सीखने की असीम क्षमता रखता है, खासकर जब वह कम उम्र का हो। अंग्रेज़ी भी प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जा सकती है, यदि पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो। महज़ कुछ वर्षों तक अंग्रेज़ी की शिक्षा पर जोर देकर अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं किये जा सकेंगे। सामान्य मत के विपरीत, भाषाएँ एक दूसरे के साथ ही विकसित होती हैं।

- यह ज़ाहिर है कि तीन भाषाएँ त्रिभाषा सूत्र में न्यूनतम हैं। यह इस सूत्र की ऊपरी सीमा नहीं है। संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जहाँ इसकी प्रकृति शास्त्रीय संस्कृत से बहुत अलग होनी चाहिए।
- शास्त्रीय (अभिजात) और विदेशी भाषाएं अपनी-अपनी तरह से पढ़ी जानी चाहिये। इससे व्याकरणिक जटिलताओं को समझने का अवसर मिलने के साथ-साथ उन परंपराओं, संस्कृतियों तथा लोगों तक पहुँचने में मदद मिलती है, जो हमारी पहुँच के बाहर हैं।

— भारतीय भाषाओं का शिक्षण–आधार पत्र, पृष्ठ 16

क्रियान्वयन का कार्यक्रम-1992

व्यावहारिक त्रिभाषा-सूत्र का आधार

व्यावहारिक त्रिभाषा-सूत्र के निर्माण में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों से सहायता मिल सकती है।

- जब तक अंग्रेज़ी विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का मुख्य माध्यम और केंद्र तथा अनेक राज्यों में प्रशासन की भाषा बनी रहेगी तब तक उसको ऊँचा स्थान मिलता रहेगा। विश्वविद्यालयों में प्रान्तीय भाषाओं के उच्चतर शिक्षा का माध्यम बन जाने के बाद भी सभी छात्रों के लिए अंग्रेज़ी का व्यावहारिक ज्ञान बहुत ही उपयोगी होगा और विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वालों के लिए उसमें काफी योग्य होना आ वश्यक होगा।
- स्कूल में किसी भाषा के अध्ययन में कितनी योग्यता प्राप्त की जा सकती है, यह बात केवल इस पर ही निर्भर नहीं है कि कोई भाषा कितने वर्षों तक सीखी जाती है, अपितु इस पर भी निर्भर है कि छात्रों के सामने क्या अभिप्रेरणा है, भाषा किस अवस्था पर सीखी जा रही है, तथा उपलब्ध शिक्षक, उपागम और शिक्षण-पद्धतियाँ किस प्रकार की हैं। उचित सुविधाओं के अभाव में लंबी अवधि तक भाषा पढ़ाने से भी अच्छे परिणाम नहीं निकलते जबकि अनुकूल परिस्थितियों के होने पर कम समय में भी अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। यद्यपि बहुत कम आयु में ही बच्चे को दूसरी भाषा सिखाने के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन हमारे विचार से प्राथमिक स्कूलों में लाखों छात्रों को भाषा की शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना बहुत कठिन काम होगा।

- हिंदी या अंग्रेज़ी को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्यतः किस अवस्था से शुरू किया जाए और वह कितनी अवधि तक सिखाई जाए। यह स्थानीय अभिप्रेरणा और आवश्यकता पर निर्भर करता है, और इसे प्रत्येक राज्य के विवेक पर छोड़ देना चाहिए।
- किसी भी अवस्था पर चार भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वेच्छा से चार या और भी अधिक भाषाओं के अध्ययन की सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।

— क्रियान्वयन का कार्यक्रम-1992

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-1988, 2000

1988 और 2000 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं में यह प्रस्ताव दिया गया है कि 'स्कूली शिक्षा के दौरान सभी स्तरों पर या कम से कम आरंभिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए' (एन.सी.एफ.एस.ई.-2000)। लेकिन यहाँ मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के बीच के अंतर की गंभीर समस्या को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है। इस रूपरेखा में कहा गया है कि यदि क्षेत्रीय भाषा विद्यार्थी की मातृभाषा नहीं है तो उसकी प्रथम दो साल तक की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से हो सकती है। तीसरी कक्षा और उसके बाद से 'क्षेत्रीय भाषा को माध्यम भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है' (एन.सी.एफ.एस.ई.-2000)।

— भारतीय भाषाओं का शिक्षण–आधार पत्र, पृष्ठ 15-16

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005

आज हम यह निश्चित रूप से जानते हैं कि द्विभाषिकता या बहुभाषिकता से निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। त्रिभाषा-फॉर्मूला भारत की भाषा-स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। यह एक रणनीति है जिसे कई भाषाएँ सीखने के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। इसे कार्य और भाव दोनों रूपों में अपनाने की आवश्यकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार है। निम्नलिखित दिशा-निर्देश इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं —

- भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, केवल कई भाषाओं के शिक्षण के ही अर्थ में

नही बल्कि रणनीति तैयार करने के लिहाज से भी ताकि बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जाए।

- बच्चों की घरेलू भाषा (एँ), जैसा कि 3.1 में परिभाषित किया गया है, स्कूल में शिक्षण का माध्यम होना चाहिए।
- यदि स्कूल में उच्चतर स्तर पर शिक्षा बच्चों की घरेलू भाषा(ओं) के माध्यम से दी जाने की सुविधा उपलब्ध न हो तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा घरेलू भाषा के माध्यम से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि हम बच्चे की घरेलू भाषाओं को सम्मान दें। हमारे संविधान की धारा 350-क के मुताबिक 'प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषायी अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।'

— राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005, पृष्ठ 42

इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) के लिए निर्मित फोकस समूह 'भारतीय भाषाओं का शिक्षण' में यह सुझाव देता है – विद्यालय स्तर पर विशेषकर प्राथमिक स्तर की शिक्षा में अनुदेशों का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। 1986 में एन.सी.ई.आर.टी. के द्वारा भाषा के अध्ययन के लिए गठित समिति ने सुझाव दिया था कि आरंभिक शिक्षा में माध्यम के रूप में मातृभाषा ही प्रयुक्त होनी चाहिए। भारतीय संदर्भ में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि

- यह लोगों को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भागीदारी योग्य बनाती है।
- महज कुछ अभिजात्य की गिरफ़्त से ज्ञान को मुक्त करती है।
- यह परस्पर सहयोगी और परस्पर निर्भर समाज के निर्माण में सहायक होती है।
- अधिक से अधिक लोगों को अपना मत रखने का अवसर प्रदान करती है और इसलिए जनतंत्र को बेहतर सुरक्षा आधार देने में कारगर सिद्ध होती है।
- सूचना के विकेंद्रीकरण की राह खोलती है और नियंत्रित मीडिया की जगह स्वतंत्र मीडिया के विकास में सहयोगी की भूमिका निभाती है। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास के लिए भी अवसर प्रदान करती है।

— भारतीय भाषाओं का शिक्षण–आधार पत्र, पृष्ठ 14-15

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

- यह सर्वविदित है छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा/मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि, कई बार बहुभाषी परिवारों में, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है, जो कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा/ मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, घर/स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे।

  — राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अध्याय 4.11

- जैसा कि अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बच्चे 2 और 8 वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता है, फाउंडेशनल स्टेज की शुरुआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में (लेकिन मातृभाषा पर विशेष जोर देने के साथ) एक्सपोज़र दिए जाएंगे। सभी भाषाओं को एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा, जिसमें बहुत सारी संवादात्मक बातचीत होगी, और शुरुआती वर्षों में पढ़ने और बाद में मातृभाषा में लिखने के साथ-ग्रेड 3 और आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विकसित किये जाएंगे।

  — राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अध्याय 4.12

- इस संबंध में, उच्चतर गुणवत्ता वाली विज्ञान और गणित में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण-अधिगम सामग्री को तैयार करने के सभी प्रयास किए जाएंगे ताकि विद्यार्थी दोनों विषयों पर सोचने और बोलने के लिए अपने घर की भाषा/मातृभाषा और अंग्रेज़ी दोनों में सक्षम हो सकें।

  — राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अध्याय 4.14

- भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। भाषाएँ प्रसांगिक और जीवंत बनी रहें इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत

प्रवाह बने रहना चाहिए- जिसमें पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, विडियो, नाटक, कविताएँ, उपन्यास, पत्रिकाएं आदि शामिल हैं। भाषाओं के शब्दकोशों और शब्द भण्डार को आधिकारिक रूप से लगातार अपडेट अद्यतन होते रहना चाहिए और उसका व्यापक प्रसार भी करना चाहिए ताकि समसामयिक मुद्दों और अवधारणाओं पर इन भाषाओं में चर्चा की जा सके। दुनियाभर के देशों द्वारा- अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियाई, जापानी आदि भाषाओं में इस प्रकार की अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री बनाने और दुनिया की अन्य भाषाओं की महत्त्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद किया जाता है तथा शब्दभंडार को लगातार अद्यतन किया जाता है। परंतु, अपनी भाषाओं को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद के लिए ऐसी अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री और शब्दकोश बनाने के मामले में भारत की गति काफ़ी धीमी रही है।

— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अध्याय 22.6

- भारतीय भाषाओं का संवर्धन एवं प्रसार तभी संभव है जब उन्हें नियमित तौर पर प्रयोग किया जाए तथा शिक्षण-अधिगम के लिए प्रयोग किया जाए। भारतीय भाषाओं में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कविताओं एवं गद्य के लिए पुरस्कार की स्थापना जैसे प्रोत्साहन के कदम उठाये जायेंगे ताकि सभी भारतीय भाषाओं में जीवंत कवितायें, उपन्यास, पाठ्य पुस्तकें, कथेतर साहित्य का निर्माण एवं पत्रकारिता जैसे अन्य कार्य सुनिश्चित किये जा सकें। भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोज़गार अर्हता के मानदंडों के एक हिस्से के तौर पर शामिल किया जाएगा।

  — राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अध्याय 22.20, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

दस्तावेज़ों और शोधों के इन तमाम सुझावों के बावजूद आज लगभग 75 वर्षों बाद भी ऐसा पूरी तरह न हो सका। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किए गए भाषा संबंधी दो शोधों (देखिए, पृ॰ 51-54) में भी माध्यम भाषाओं की राज्यवार जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसमें अधिकांश राज्यों में बहुत-सी भाषाएँ माध्यम भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही हैं। **कागज़ पर तो माध्यम भाषाओं को लेकर ये संस्तुतियाँ और रूपरेखा उत्साहित करती हैं लेकिन ये घर की भाषा और स्कूल की भाषा के अंतर को अब भी नहीं पाट सकी हैं।** दिनोदिन एक ओर घर की भाषा और स्कूल की भाषा में अंतर बढ़ता चला गया तो दूसरी ओर अंग्रेज़ी सहित भारतीय भाषाओं के बीच संवाद भी टूटा। मानसिक बोझ इस कदर बढ़ा कि बच्चों की अपनी समझ, अपनी अभिव्यक्ति कहीं दब कर रह गई। इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) में इस बात को पुरजोर तरीके से

फिर से कहने की ज़रूरत पड़ी कि बच्चों की घर की भाषा स्कूल में भी उनकी समझ का माध्यम बने ताकि बच्चे रटने की बजाय समझकर पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ें। शिक्षा उनके लिए बोझ न बनकर एक आनंददायी अनुभव बने। जाहिर है इसके पीछे कुछ भ्रम और बहुत-सी उलझनें हैं।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एन.सी.ई.आर.टी. के भाषा विभाग ने एक पहल की और देश भर के शिक्षाविदों और अध्यापकों के साथ मिलकर एक बहस चलाई। यह बहस पटना, वाराणसी, उदयपुर और दिल्ली में एक परिसंवाद शृंखला के रूप में आयोजित हुई जिसमें बच्चों की अपनी भाषा ही उनकी समझ का माध्यम बने, इस बात पर सबकी सहमति बनी। पर सबसे बड़ी समस्या इसके क्रियान्वयन की है। इन गोष्ठियों से छनकर यह बात भी आई कि इस दिशा में एक व्यापक तैयारी की ज़रूरत होगी। न केवल अकादमिक बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक भूमिका को लेकर एक सचेत तैयारी करनी होगी और समझ का माध्यम संबंधी समझ बनाने में एक क्रियात्मक पहल करनी होगी।

2

भाषा और समझ

- **बच्चे की समझ और भाषा**
- **समझ के आधार के रूप में भाषा**
- **भाषा और सामाजिक समता**
- **बच्चे की अस्मिता का सवाल**
- **सार्थक शिक्षा के प्रयास**

भाषा और समझ का गहरा रिश्ता है, पर शिक्षा में समझ की ज़रूरत लगभग नकार दी गई थी। पिछले सालों में शिक्षा संबंधी जो नयी नीतियाँ बनीं, वे पहली बार शिक्षा में समझ पर बल देने की बात कह रही हैं। इससे पहले, समझ क्या है? इसकी भी कोई समझ नहीं बन पा रही थी। ज्ञान देने और ग्रहण करने की परंपरा चल रही थी। बहुत कुछ आज भी चल रही है। सबसे पहले बच्चों की भाषा क्या है? इस विषय में हमें अपनी समझ पुख़्ता करनी होगी—

बच्चे की समझ और भाषा

- विद्यालय आने से पहले बच्चे भाषा के माध्यम से ही दुनिया को महसूस कर रहे होते हैं।
- बच्चे भाषा सीखते नहीं बल्कि दिमाग में रचते हैं।
- बच्चे समझ बनाने की क्षमता रखते हैं और स्वयं समझ बनाते भी हैं।
- उनके आस-पास कई भाषाओं का होना समस्या नहीं, संसाधन हैं। कई भाषाएँ शिक्षा में समता का काम कर सकती हैं।
- पाठ्यचर्या और भाषा जब निजी जिंदगी से जुड़ती हैं तो वह और समृद्ध होती हैं।
- छह वर्ष की बच्ची की भाषा भी बहुत जटिल हो सकती है। उसके पास भाषा का ऐसा व्याकरण होता है जिसमें वह सब कुछ अभिव्यक्त कर सकती है। (अगर उसके ऊपर माध्यम के रूप में दूसरी भाषा लादी जाती है तो उसकी समझ सशक्त नहीं होगी।)

चॉम्स्की (1959) की 'रिव्यू ऑफ़ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर' है जिसने व्यवहारवाद की बुनियाद को ही हिला कर रख दिया। चॉम्स्की ने तर्क देते हुए कहा कि भाषिक क्षमता जन्मजात ही होती है, वरन भाषिक व्यवस्था को सीखने की प्रक्रिया संभव ही नहीं हो सकती। मगर पियाजे (1962-1983 कई अन्यों में से) इनहेल्डर (1958) और व्योगोत्स्की (1978, 1986) जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इन दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच का रास्ता चुना। जहाँ व्यवहारवादियों के लिए मस्तिष्क एक 'कोरी स्लेट' जैसा था, वहाँ संज्ञानात्मक रुख रखने वालों (चॉम्स्की आदि) के लिए भाषा मानव-मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी, सार्वभौम व्याकरण के रूप में बुनी हुई। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भाँति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है।

— भारतीय भाषाओं का शिक्षण-आधार पत्र, पृष्ठ 8

समझ के आधार के रूप में भाषा

समझ और भाषा का रिश्ता कुछ ऐसा होता है जैसे हवा और उसकी तरंगों का। हमारी समझ अपनी भाषा में ही बनती है। भाषा के बिना समझ की परिकल्पना असंभव है। पर स्कूलों में भाषा को एक 'टूल' की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें इस दिशा में अभी काम करना होगा और यह विश्वास दिलाना होगा कि भाषा मानवीय समझ का एकमात्र आवश्यक आधार है। हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं? इसके बारे में भी हमें भाषा ही सचेत करती है। यह वर्तमान से अतीत और भविष्य में आवाजाही करने का एकमात्र ज़रूरी उपकरण है। कल क्या था? इसके आधार पर ही यह कल्पना की जा सकती है कि हमें और क्या चाहिए? अपने विषय में विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय करने का काम भाषा ही करती है। मनुष्य की ये सभी अवस्थाएँ अपने परिवेश में ही रची जाती हैं और इस रचावट का काम समझ के द्वारा ही संभव है। इंसान की यह समझ भाषा से ही बनती है। भाषा से ही हम सार्थक अवधारणाएँ बनाते हैं, संबंधों का संजाल बनाते हैं, अपने अनुभवों को सार्थकता प्रदान करते हैं, अपने इरादों को देख पाते हैं और दूसरों के इरादों को समझ पाते हैं। इसलिए इंसान को गढ़ने की आवश्यक शर्त के रूप में भाषा समझ का माध्यम बनती है।

बच्चों की अपनी भाषा की संरचना उनके दिमाग में पहले से ही है। अवधारणाओं का ढाँचा इसी भाषा से बनता है। जब वह कोई नई चीज देखता है तो उसका संबंध पहले

के अनुभवों से जोड़ता है और नयी विशेषताएँ पता करता है तब जाकर उस चीज की अवधारणा बनती है। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता भाषा और समझ है तो जानी पहचानी वस्तुओं से अपरिचित वस्तुओं को संबद्ध कर सकता है और उसके बारे में बात कर सकता है। यह भाषा के द्वारा ही संभव है। इसलिए बच्चे के मन में पहले से मौजूद और नई अवधारणाओं को अलग-अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल करने का मौका देना होगा। तब जाकर उसकी अपनी समझ बनेगी।

एक बच्ची उड़ते हुए मोर को देखकर कहती है "कागा" और चलते हुए मोर को देखकर कहती है "भौं भौं"। इसमें डेढ़ वर्ष की बच्ची की अवधारणाएँ विकसित हो रही हैं यानी उसके लिए उड़ने वाला पक्षी है और चलने वाला पशु है। छह महीने बाद वह दीवार पर जा रही छिपकली को 'पल्ली' कहती है और माँ जब उसे 'कागा' कहती है तो वह चौंकती है। अब अंतर और अधिक स्पष्ट हो गया है। यह उसके सीखने और समझ बनाने का तरीका है। किसी चीज को देखकर अकसर बच्चे यह पूछते हैं– 'यह क्या है?' वे यहाँ शब्द नहीं पूछ रहे बल्कि अवधारणाओं के बारे में पूछ रहे हैं। बच्चे ने जो भाषा पहले बोलनी शुरू की, उसी से वे समझ बनाते हैं, अर्थ निकालते हैं, वह अर्थ उनके लिए क्या मायने रखता है, हमें समझना ज़रूरी है।

— एक प्रतिभागी

भाषा और सामाजिक समता

सामुदायिक जीवन, भाषा और इंसान बहुत गहरे रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और सर्जना में इनकी बड़ी भूमिका होती है। बच्चा अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से संजोकर उनको अर्थवान बनाता है। यह प्रक्रिया किसी भाषा के द्वारा ही होती है और यह भाषा बच्चे की घर की भाषा/मातृभाषा ही हो सकती है। यानी सर्जना की पहली कोशिश अपनी भाषा में ही आरंभ होती है क्योंकि जो भावनात्मक और अंतरंग शब्द होते हैं, वे अपनी भाषा में ही आते हैं।

बच्चा जब पहली बार स्कूल आता है तो उसे यह सिखाया जाता है कि उसे अपनी भाषा में नहीं बोलना है उसको एक ऐसी भाषा में बोलना है जो शिक्षकों द्वारा निर्धारित की गई है। यह वह भाषा है जिसमें उसने अभी तक न सोचा है और न बोला है। इसका नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें ध्यान देना होगा कि बच्चा अपने आपको

मातृभाषा में ही सर्जित करता है और अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति भी इसी भाषा में करता है। इसको शिक्षा में नकारना केवल बच्चे को नकारना नहीं है बल्कि यह सामाजिक समता, सामाजिक न्याय और आज़ादी को नकारना है। यह प्रवृत्ति 'चुप्पी की संस्कृति' के साथ-साथ एक आक्रामक समाज को जन्म दे सकती है। क्योंकि जब शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है तो वह कई अन्य रास्तों को खोल सकती है, जो अनुपयुक्त भी हो सकते हैं। सहिष्णुता का भाव लाने के लिए भी बच्चों को अपनी भाषा में सोचने, विचारने और पढ़ने-लिखने के अवसर देने होंगे। यह अकारण नहीं है कि गांधी जी ने आज से लगभग सौ साल से भी पहले (सन् 1909 में) 'हिंद स्वराज' अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखी, अंग्रेज़ी में नहीं।

हमारी शिक्षा पद्धति कुछ लोगों की भाषा को स्वीकार करती है तो कुछ लोगों की भाषा को नकारती है। यह नकार शिक्षा पाने के उपकरण या ज्ञान प्राप्त करने के एकमात्र साधन का नकार है। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि नयी मशीनें बनाना, नये शोध करना, अपने और समाज के बारे में नये ढंग से सोचना तभी संभव होगा जब हम अपनी भाषाओं में सोच पाएँगे। और यह तब संभव होगा जबकि हरेक स्कूल भाषा शिक्षा को लचीला बनाए।

बच्चे की अस्मिता का सवाल

दो ऐसे स्कूलों की कल्पना कीजिए जिनकी अपनी-अपनी भाषा-नीति है– एक वह स्कूल है जहाँ बच्चा स्कूल में आता है तो उसकी अपनी भाषा चाहे वह जनजातीय भाषा हो या उसकी घर की अपनी भाषा - उसको पूरी सहजता और सम्मान के साथ कक्षा में स्वीकार किया जाता है। वह अपनी भाषा में जिस तरह भी बोलता हो, उसे गलत नहीं कहा जाता है और न ही उसे 'गँवारू' कहा जाता है। उसकी भाषा में वह अपने पिता को, दादा को या किसी भी बड़े को 'तुम' कहता है। यहाँ तक कि शिक्षक को भी 'तुम' कहता है तो उसे अपमानित नहीं किया जाता, उसे 'गँवारू' कहकर बैठा नहीं दिया जाता। यह स्कूल इस बच्चे को धीरे-धीरे बृहत्तर दुनिया और ज्ञान से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय भाषा की तरफ लाने का प्रयास करता है। यह काम उसके आत्मगौरव और आत्मविश्वास को ठेस पहुँचाए बिना आहिस्ता-आहिस्ता किया जा रहा है। इस स्कूल में बच्चे के पूर्व अर्जित ज्ञान का स्वागत होता है। यहाँ बच्चा मातृभाषा से प्रांतीय भाषा में सहज ढँग से विचरण करता है।

दूसरा वह स्कूल है जहाँ बच्चे के प्रवेश के साथ ही उसकी शिक्षा एक परायी भाषा

में शुरू होती है। वहाँ अपनी भाषा मुख से निकालते ही उसे 'गँवार' कहा जाता है। यह स्कूल बच्चे की अपनी भाषा को स्वीकार नहीं करता है। अगर इन दोनों स्कूलों और बच्चों का जायज़ा लेंगे तो पाएँगे कि पहले स्कूल से निकलने वाला बच्चा आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। अपनी जड़ों से जुड़े हुए इस बच्चे के मन में अपनी भाषा के प्रति कोई दुराव या हीन-भावना नहीं होगी। इस बच्चे का प्रांतीय और अंग्रेज़ी भाषा पर भी पर्याप्त अधिकार होगा। पर दूसरे स्कूल से निकले हुए बच्चे की अपनी भाषा को नकारे जाने के कारण उसके आत्मविश्वास में कमी होगी और दूसरी भाषा के चक्कर में पड़कर उसका ध्यान अभिव्यक्ति के बजाय सही उच्चारण और व्याकरण पर चला जाएगा। आगे चल कर वह विचार की तारतम्यता की बजाय भाषा दुरुस्त करने में लगा रहेगा।

दुमका क्षेत्र में साक्षरता अभियान के दौरान हिंदी में पाठ्यपुस्तकें (प्रौढ़ों के लिए) विकसित की गईं। पुस्तकें बहुत अच्छी थीं पर उनसे किसी तरह की समझ नहीं बन पा रही थी। फिर स्थानीय लोगों की मदद से नयी पठन सामग्री विकसित की गई और वह बहुत लोकप्रिय साबित हुई। ये पुस्तकें संथाली भाषा में बनाई गईं। कुछ लोगों ने कहा कि शुरुआती दौर में यही ठीक होगा पर बाद में कामकाज की भाषा भी शामिल करनी ज़रूरी होगी।

इस अनुभव का इस्तेमाल विद्यालयी शिक्षा में भी किया जाना चाहिए यानी समझ बनाने के लिए उनकी अपनी भाषा और फिर धीरे-धीरे अधिक चलने वाली भाषा या संपर्क भाषा।

— एक प्रतिभागी

बच्चे अपने आसपास के परिवेश और पूरी दुनिया को समझते हैं और विद्यालय में अपनी संपूर्ण अस्मिता लेकर आते हैं। यदि स्कूल में उसकी घर की भाषा को अस्वीकार किया जा रहा है तो बच्चे ने अब तक जिस भाषा में अपने को गढ़ा है, उसे अस्वीकार किया जा रहा है। बच्चे ने जिस भाषा में अपनी अस्मिता का गठन किया है, जिसके द्वारा दुनिया के बारे में एक समझ बनाई है, उसे अस्वीकार करना न केवल मातृभाषा को अस्वीकार करना है, बल्कि उसके समझ के आधार को अस्वीकार करना है। इसलिए हमें बच्चे की भाषा को स्वीकार करना होगा। उसकी भाषा की सीमाएँ भी होंगी, पर हमें उसे उसके साथ स्वीकार करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में उसे अपनी भाषा में पढ़ने और समझने का अवसर दिया जाना चाहिए। धीरे-धीरे उसे राज्य की और व्यापक ज्ञान के दायरे की भाषा के साथ जोड़ा जाए। इस कोशिश में प्रांतीय भाषाओं

को उसकी अपनी भाषा से प्रभावित होने की छूट देनी होगी। यह प्रयास नयी चीजों को सार्थक तरीके से समझने में मदद करेगा और पढ़ना सीखने में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास लाएगा। बच्चे ने जो भाषा पहले बोलनी शुरू की, उसी में उनकी समझ बनती है और उसी से वे अर्थ निकालते हैं। वे अर्थ बच्चों के लिए क्या मायने रखते हैं, हमें इस बात को समझना होगा। इसके लिए हमें कक्षा में नयी तैयारी करनी होगी –

यह कितने दुख की बात है कि हम स्वराज की बात भी पराई भाषा में करते हैं? जिस शिक्षा को अंग्रेज़ो ने ठुकरा दिया है वह हमारा सिंगार बनती है, यह जानने लायक है।... वे जिसे भूल से गए हैं, उसी से हम अपने अज्ञान के कारण चिपके रहते हैं उनमें अपनी अपनी भाषा की उन्नति करने की कोशिश चल रही है। वेल्स इंग्लैंड का एक छोटा-सा परगना है उसकी भाषा धूल जैसी नगण्य है। ऐसी भाषा का जीर्णोद्धार हो रहा है।

वेल्स के बच्चे वेल्स भाषा में ही बोलें ऐसी कोशिश वहाँ चल रही है। इसमें इंग्लैंड के खजांची लॉयड जॉर्ज बड़ा हिस्सा लेते हैं। और हमारी दशा कैसी है? हम एक-दूसरे को पत्र लिखते हैं तब गलत अंग्रेज़ी में लिखते हैं।... हमारे अच्छे से अच्छे विचार प्रकट करने का जरिया है अंग्रेज़ी;... अगर ऐसा लंबे अरसे तक चला, तो मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ी हमारा तिरस्कार करेगी और उसका शाप हमारी आत्मा को लगेगा।... मुझे तो लगता है कि हमें अपनी सभी भाषाओं को उज्ज्वल-शानदार बनाना चाहिए। हमें अपनी भाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए-इसके क्या मानी हैं, इसे ज्यादा समझाने का यह स्थान नहीं है। जो अंग्रेज़ी पुस्तकें काम की हैं, उनका हमें अपनी भाषा में अनुवाद करना होगा।

— हिंद स्वराज से

- समय, भाषा और समझ परिवर्तनशील है और हमें इस परिवर्तन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ही मायने निकालने के अवसर देने होंगे।
- बच्चा संसार भर की भाषाओं को सीखने की क्षमता लेकर पैदा होता है। उसकी इस क्षमता का कक्षा में सम्मान करना होगा।
- बच्चे की अवधारणा उसकी अनुभूति और उसके देखने की भाषा को कक्षा में स्थान देना होगा।

- हमें उसे ध्वनियों से खेलने के अवसर देने होंगे।
- हमें उसे अपने अर्थ गढ़ने के अवसर देने होंगे।
- शिक्षक को बिना परिभाषा के अवधारणा तक पहुँचने की प्रविधि तैयार करनी होगी।
- पाठ्य-सामग्री की सीमाओं को विस्तार में बदलना होगा।
- अनुवाद की यांत्रिकता को रचनात्मक बनाना होगा।
- बिना संदर्भ के भाषा सिखाने की कोशिश को छोड़ना होगा। यानी इस भ्रम भाषा और समझ 17 को दूर करना होगा कि क, ख, ग, घ या a, b, c, d ही भाषा है।
- भाषा बच्चे की अस्मिता, संस्कृति और विकास से जुड़ी हुई है।
- भाषा उसके आगे बढ़ने का माध्यम है।
- बच्चा कोई नयी चीज देखते समय उसे भाषा से जोड़कर देखता है।
- भाषा अनुभवों की व्याख्या करने और विश्लेषण करने का आधार है।
- जो बच्चे बोल नहीं सकते, उनके पास भी एक भाषा होती है। अध्यापक को यह भी करना होगा कि हिंदी में स्थानीय भाषा के प्रवाह को निर्बाध रूप से आने देना होगा। चाहे उच्चारण हो, वाक्य संरचना हो या मुहावरे हों। इससे हिंदी और स्थानीय समुदाय दोनों को बल मिलेगा।

सार्थक शिक्षा के प्रयास

हमारी शिक्षा व्यवस्था ने बच्चों पर दूसरी भाषा या क्षेत्रीय भाषा लादकर 'चुप्पी की संस्कृति' को जन्म दिया है। बच्चों की समझ के सारे दरवाज़े बंद कर देने की कोशिश की है। बहुत से द्वीपों का एक छोटा-सा देश है- पपुआ गिनी। इस देश ने अपनी भाषा नीति के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा चार सौ से भी अधिक भाषाओं में दी जा सकती है। इस देश ने भाषा को समझ का वाहन बनाने का प्रयास किया है। बच्चों की अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसे अंग्रेज़ी या किसी अन्य भाषा के साथ जोड़ने की कोशिश की है। हमें भी इस दिशा में प्रयास करना होगा। हमें प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जापान, कोरिया, क्यूबा, फिनलैंड और कनाडा जैसे देशों की भाषा-नीति का अनुसरण करना चाहिए। कनाडा ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि कोई भी बच्चा अपनी भाषा के कारण पीछे न रह जाए। इधर 'शिक्षा का अधिकार कानून' में मातृ भाषा में शिक्षा की बात को बल देकर कहा गया है

कि बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए यह ज़रूरी है कि शिक्षा सार्थक हो। हमें यह भी कोशिश करनी होगी कि यह शिक्षा बच्चों को उनकी क्षमता का विश्वास दिला सके। ऐसी शिक्षा पहली भाषा या मातृभाषा में ही दी जा सकती है। भाषा वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि पहली भाषा समृद्ध होती है तो दूसरी भाषा सीखने में आसानी होती है।

3

बहुभाषिकता

- **बहुभाषिकता का उद्देश्य**
- **बच्चे की भाषा क्षमता**
- **सार्वभौमिक व्याकरण की परिकल्पना**
- **बहुभाषिकता और अल्पसंख्यक तथा आदिवासी भाषाएँ**
- **बहुभाषिकता और दक्षिण भारतीय भाषाएँ**
- **बहुभाषिकता और अंग्रेज़ी की कक्षा**
- **बहुभाषिक कक्षा**
- **बहुभाषिकता की चुनौतियाँ**

एक दिन एक गाँव में बहुत हो-हल्ला मचा कि 'महान खगोलविद् पधारे हैं। नक्षत्रों के बहुत बड़े जानकार हैं।' दो दिन अपना आतिथ्य करवाते रहे और आसमान की ओर ताकते रहे। तीसरे दिन वे कहीं नजर ही नहीं आए। लोगों ने ढूँढ़ शुरू की। मिले तो कहाँ भला, एक कुएँ में छपाछप कर रहे थे। लोगों ने कहा 'जिसको जमीन पर चलने के रास्ते नहीं पता, वह भला आकाश को क्या जानेगा?' बच्चे की अपनी भाषा में शिक्षा के संबंध में यह किस्सा बहुत मायने रखता है। हमें बच्चे की अपनी जमीन (मज़बूत) बनानी होगी और इस प्रक्रिया में सिद्धांतों की बात करनी चाहिए, जिन्हें शिक्षा की दुनिया में क्रियान्वित किया जा सके। इससे यह भी स्पष्ट है कि हमें ज़मीनी शिक्षा के रास्ते तलाशने होंगे। बहुभाषिकता एक ऐसा ही रास्ता है।

बहुभाषिकता का उद्देश्य

बहुभाषिकता हमारे जीवन और संस्कृति का एक ज़रूरी हिस्सा है। हमारी संस्कृति हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई है। हम सभी बहुभाषी हैं और हमारा बहुभाषी होना हमें दूसरों से जुड़ने में और उनको समझने में मदद करता है। आजकल एक देश से दूसरे देश में लोगों की आवाज़ाही हो रही है और वहाँ के आर्थिक, सामाजिक जीवन में भी जगह बना रहे हैं, इसलिए इस समय में एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति की अवधारणा का कोई स्थान नहीं है। यह बात सोचना न केवल बेमानी होगा बल्कि पूरी दुनिया के ज्ञान से आँख मूँदने जैसा होगा।

यह बात हम समझते हैं और इसका भरपूर प्रयोग भी करते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह बात बच्चों के जीवन से भी जुड़ी हुई है, तो बच्चों को इससे दूर क्यों रखा जाता है। बच्चों को समझने के लिए, उनसे रिश्ता कायम करने के लिए, उनको स्कूल से जोड़ने के लिए, उनकी घर की भाषा और स्कूली भाषा में एक पुल बनाने के लिए बहुभाषिकता की अहम भूमिका है।

बच्चे मातृभाषा जानते हैं, आस-पास के परिवेश में उसका उपयोग होते हुए देख रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि उनकी अपनी भाषा को मजबूत आधार देकर उनकी भाषा और दूसरी भाषा के बीच एक पुल बनाया जाए। इस तरह दो-तीन और भाषाओं में उसे पहुँचाया जा सके जिससे वह सहजता से शिक्षा ग्रहण कर सके।

मातृभाषा का इस्तेमाल रीढ़ की हड्डी की तरह चलते रहना चाहिए। लिखना-पढ़ना हम एक ही बार सीखते हैं। मातृभाषा में यह कौशल पक्का हो जाए तो अन्य भाषाओं में लिखना-पढ़ना बहुत आसान हो जाता है।

बच्चे की भाषा क्षमता

अधिकांश बच्चे स्कूल आने से पहले केवल एक भाषा नहीं, बल्कि अकसर अनेक भाषाएँ सीख लेते हैं। स्कूल आने से पहले बच्चा लगभग पाँच हज़ार अथवा उससे भी अधिक शब्दों को जानता है। अतः बहुभाषिकता हमारी पहचान अथवा अस्मिता की निर्धारक है। यहाँ तक कि दूर-दराज के गाँवों का तथाकथित एक 'एकल भाषी' भी अनेक संप्रेषणात्मक स्थितियों में सही तरीके की भाषा इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहनशीलता, विकेंद्रित चिंतन एवं शैक्षिक उपलब्धि से सकारात्मक संबंध होता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सभी भाषाएँ जिन्हें हम बोली, आदिवासी या खिचड़ी भाषाएँ कहते रहे हैं, वे सब समान रूप से वैज्ञानिक होती हैं। भाषाएँ एक-दूसरे के सान्निध्य में

सभी बच्चे चार वर्ष की उम्र में ही कई भाषाएँ सीखने की क्षमता रखते हैं।

× × ×

भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 कहता है अपनी भाषा संस्कृति को बचाने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 और 350 ए भी इसी संदर्भ में बात करते हुए अपनी-अपनी भाषा के संरक्षण सहेजने और सुलभता की बात करते हैं।

फलती-फूलती हैं, साथ ही अपनी विशेष पहचान भी बनाकर रखती हैं। बहुभाषिक कक्षा में यह बिलकुल अनिवार्य होना चाहिए कि हर बच्चे की भाषा को सम्मान दिया जाए और बच्चों की भाषायी विभिन्नता को शिक्षण विधियों का हिस्सा मान कर भाषा सिखाई जाए।

सार्वभौमिक व्याकरण की परिकल्पना

भाषाविद् भी भाषा शिक्षण के संदर्भ में इसी तरह की बात कहते हैं। हर भाषा में स्वर और व्यंजन होते हैं। हर भाषा की अपनी एक विशेषता होती है और वह एक-दूसरे के समान नहीं हो सकती। वह अपने आप में 'अद्वितीय' है। उदाहरण के तौर पर "मैं अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ", "ट्राई कर रहा हूँ", "आप खाने की कोशिश करो", "ट्राई करके तो देखो"। यहाँ सभी वाक्यों में 'ट्राई' का संदर्भ बदल रहा है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि पर्यायवाची शब्द हमेशा एक अर्थ नहीं दे सकते। जिस व्यक्ति को दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, उसके पास एक ही भाषा-व्यवस्था के दो हिस्से हैं और अलग-अलग भाषाओं की अलग-अलग 'व्यवस्था' भी है। "बच्चे ने बोतल तोड़ी" यह उर्दू, पंजाबी, हिंदी किस भाषा-व्यवस्था का वाक्य है ? तीनों का भी हो सकता है। "मुंडे नाल मैं नी जा सकदी" (लड़के के साथ मैं नहीं जा सकती।) पंजाबी में 'मुंडे' के साथ 'दे' लगाने की जरूरत नहीं। यह सब भाषा की अपनी व्यवस्थाएँ हैं। बच्चे अपने आप ही आस-पास की बोली जाने वाली भाषा की ध्वनियाँ, वाक्य रचना और शब्द जानते हैं। दो भाषाओं के बीच के अंतर को भी समझते हैं, भाषाओं की ढाँचागत बनावट को भी जानते हैं। उदारहण के लिए, मैसूर का व्यक्ति 'कंघी' को 'कांघी' कहेगा। यदि हम भाषाओं की व्यवस्था को पहचान लें तो सीखने में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से समझ सकते हैं। जिसके पास दो या दो से अधिक भाषाएँ हैं, उसके पास एक शरीर दो आत्माएँ हैं। यह 'विकास' का ही हिस्सा है। एक बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि भाषा मिटेगी तो उसके साथ संस्कृति भी मिटेगी। अफ्रीका में भाषा मिटने के कारण, एक संस्कृति नष्ट होने के कगार पर पहुँच गई थी, पर लोग समय पर सचेत हो गए।

नागालैण्ड में यद्यपि अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा बना लिया है, पर जरूरत के हिसाब से 17 आदिवासी भाषाओं को भी प्राथमिक स्तर (शिक्षा) पर स्वीकार किया गया है। एक भाषा तो एम.ए. तक पढ़ायी जाती है। सर्वशिक्षा अभियान द्वारा कोशिश जारी है कि बच्चों को उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाए।

बहुभाषिकता और अल्पसंख्यक तथा आदिवासी भाषाएँ

जो भाषाएँ कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं आमतौर पर उनके बच्चे स्कूलों में नहीं आ पाते। बहुभाषिकता को सम्मान देकर हम उन सभी बच्चों को शिक्षा की परिधि में ला सकते हैं। बहुभाषिकता के संदर्भ में भाषायी अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि उनको अपनी भाषा में प्राथमिक शिक्षा मिले। भाषा संरक्षण के लिए एक ऐजेंसी भी बने। एक अल्पसंख्यक भाषा आयोग बना है जिसके अनुसार अभी स्थिति यह है कि कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं जो अल्पसंख्यक नहीं हैं फिर भी शिक्षा के खेमे से बाहर हैं।

शोध यह भी कहते हैं कि आदिवासी बच्चों को आगे लाने के लिए ही बहुभाषिकता की बात की गई है। आदिवासी बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो उन्हें नयी भाषा मिलती है चाहे असमिया हो या कोई और भाषा। उन्हें इस उद्देश्य से स्कूल लाया जाता है कि इन्हें भी मुख्यधारा से जोड़ना है। भले ही उनकी भाषा चेन्जु या कोई और हो। नतीजा यह होता है कि जिस भाषा में उनकी अपनी संस्कृति की समझ बनी है, उससे ही दूर हो जाते हैं।

बहुभाषिकता और दक्षिण भारतीय भाषाएँ

एक मान्यता यह भी है कि दक्षिण भारत में समझ के लिए वहाँ की अपनी भाषा तमिल, कन्नड़, तेलुगु या मलयालम और अंग्रेजी ही पर्याप्त है । त्रिभाषा सूत्र के अनुसार तीसरी भाषा हिंदी पढ़ना उनके लिए बोझ हो सकता है। सभी राज्यों की अपनी आधिकारिक भाषा है। बच्चों की अपनी-अपनी और भी भाषाएँ हैं। और तीसरी भाषा अंग्रेजी भी है। अब सवाल यह उठ सकता है कि इतनी भाषाओं के होते हुए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही क्यों?

इस संदर्भ में यह ध्यान देने की बात है कि बहुत से बच्चे पाँचवीं के बाद पढ़ाई-लिखाई छोड़ देते हैं। मातृभाषा वे पहले से ही जानते हैं। अतः पाँचवीं तक की पढ़ाई-लिखाई उनकी मातृभाषा में हो तो पढ़ाई आसान हो जाएगी वरना पाँचों साल दूसरी भाषा सीखने के फेर में ही गुजर जाएँगे और वह 'सार्थक' जैसा कुछ नहीं कर पाएँगे। त्रिभाषा सूत्र बहुभाषिक अवधारणा नहीं है, न यह कोई नीति है। इसे एक कार्यक्रम कहा जा सकता है। इसमें भाषाओं की विविधताओं की बात को फिर से देखे जाने की जरूरत होगी। यह बहुभाषिकता के द्वारा ही हो सकेगा।

बहुभाषिकता और अंग्रेजी की कक्षा

अंग्रेज़ी शिक्षण का उद्देश्य ऐसे बहुभाषियों को तैयार करना है जो हमारी सभी भाषाओं को समृद्ध कर सकें, यही स्वीकृत और राष्ट्रीय नज़रिया रहा है। इसलिए अंग्रेज़ी चाहे जिस भी कक्षा (I-III या IV या V/VI) में शुरू हो, वह अर्थवान स्थितियों में सिखाई जाए। लेकिन आमतौर पर अंग्रेज़ी की कक्षा में मातृभाषा का प्रवेश गुप्त घुसपैठिए के रूप में होता है। उत्तर लिखवाते समय शिक्षक पाठ के "साथ-साथ अनुवाद और व्याख्या" करते चलते हैं। समझ बनाने के क्रम में बच्चे की मातृभाषा को धड़ल्ले से उपयोग में लाकर या अंग्रेज़ी से संबंधित करके सही जगह दी जा सकती है। प्रभु (1987) इसका एक उदाहरण देते हैं -"बंगलौर (बेंगलुरु) प्रोजेक्ट में मातृभाषा के प्रयोग की सीमा कार्य की जरूरतों से सहज ही तय हो गई थी। वहाँ सामग्री अंग्रेज़ी में थी और जवाब भी अंग्रेज़ी में ही आते थे। आवश्यकता पड़ने पर मातृभाषा ने ही अंग्रेज़ी भाषा को बोधगम्य बनाया। यदि अंग्रेजी में विविध प्रकार की सामग्री उपलब्ध हो और उसे समझने का सच्चा प्रयास हो तो मातृभाषा दखलंदाजी नहीं करती बल्कि सहायक होती है" क्रेशन (1985:94) बताते हैं कि "साथ-साथ किया जाने वाला अनुवाद प्रभावी नहीं होता", कक्षा में दो भाषाओं का उपयोग पहली भाषा को पृष्ठभूमि में उपयोग करते हुए लक्ष्य-भाषा की सामग्री को बोधगम्य बनाने के लिए किया जाए।

अंग्रेजी भाषा-शिक्षण की सामग्री तैयार करने के लिए मातृभाषा के उपर्युक्त प्रयोगों की समझ बनाने में शिक्षकों की भागीदारी निश्चित करने की ज़रूरत है। भाषा-शिक्षण के उपर्युक्त स्तर क्या हो सकते हैं, इस विषय पर शिक्षकों की मानसिकता को संबोधित करने की ज़रूरत है।

कुछ संभावनाएँ

- प्राथमिक स्कूलों में भाषाओं के बीच तथा 'भाषाओं' और 'विषयों' के बीच के व्यवधान हटाने की कोशिश करनी होगी। निम्न प्राथमिक स्तर पर या कम से कम कक्षा 1 से 3 तक जो गतिविधियाँ बच्चे को अपने आसपास के जगत के प्रति जागरूक करने के लिए दी जाती हैं, वे अंग्रेजी के साथ-साथ मातृभाषाओं में दी जा सकती हैं (दास 2005)। इस प्रकार की बहुभाषी गतिविधियों के विकास के लिए सामग्री तैयार करने और शिक्षकों के सहयोग से एक स्पष्ट प्रविधि के निर्देश तैयार करने की ज़रूरत

है जिसमें एक से अधिक भाषाओं के उदाहरण हों। उसमें कोड-परिवर्तन की उदारता भी होनी चाहिए।

- एक से अधिक भाषाओं में समांतर पाठ लागू करना, यह एक ही कहानी हो सकती है। जैसे– एन.बी.टी. ने अंग्रेजी के साथ-साथ भारतीय भाषाओं में भी कहानियाँ छापी हैं (देखें अमृतावल्ली और रामेश्वर राव, 2001)। प्रॉमिस फाउंडेशन ने चार भारतीय भाषाओं और अंग्रेज़ी में बड़ी पुस्तकें तैयार कराई हैं। सी.आई.ई.एफ.एल. की संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण के तहत द्विभाषी किताबें तैयार की गई हैं। ऐसे समांतर पाठ एक-दूसरे के यथावत अनुवाद हों ऐसा ज़रूरी नहीं है पर वे समान अर्थ वाले हों और उनमें एक जैसी भाषिक गतिविधि; जैसे– तुक, ध्वनि-खेल आदि शामिल हों, ताकि बच्चे भाषा की ध्वनि और संरचना के प्रति सचेत हों। पढ़ना एक संचरणीय कुशलता है। एक भाषा में पढ़ने की कुशलता दूसरी भाषा को सीखने में मदद करती है (वेस्ट 1941)। यह सिर्फ समान लिपि वाली भाषाओं में नहीं बल्कि अलग लिपियों वाली भाषाओं में भी कारगर होता है। (वेस्ट ने बंगाली और अंग्रेज़ी पर काम किया है: दो लिपियों की स्थितियों और पढ़ने की संचरणीयता के बारे में अब थोड़ी बहुत जानकारी है)।
- ऊपर दिए गए सुझाव समांतर या साथ-साथ काम करने वाली भाषाओं के बारे में हैं, वहीं द्विभाषी पढ़ने-पढ़ाने वाले के लिए या मिश्रित कोड के द्विभाषी पाठों पर भी प्रयोगात्मक कार्य उपलब्ध हैं (देखें डोवेरा 2005, फेलिक्स 1998) इनकी शैक्षणिक संभावनाओं को खोजा जा सकता है।

– अंग्रेज़ी शिक्षण –आधार पत्र, पृष्ठ 13-14

बहुभाषिक कक्षा

किसी भी भाषा को कैसे पढ़ाते हैं? इसके लिए हमें लिखने के विज्ञान को पहले समझना होगा। यहाँ दिमाग और हाथ का संयोजन/समन्वयन चाहिए। 5-6 साल की उम्र तक यह विकास ठोस नहीं होता इसलिए लिखने में मुश्किल होती है। पर शोध यह भी कहते हैं कि बच्चे के मन में प्रिंट की अवधारणा या समझ बनाने के लिए पढ़ने के साथ लिखना भी शुरू करना चाहिए। यह लिखना रेखाओं में भी हो सकता है। यह समझ लेना भी ज़रूरी है। सुनना और बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। गणित सिखाने की बात की जाए तो बच्चे गणित पहले से ही जानते हैं। टॉफी बाँटना बिना सिखाए आ जाता है। इसी तरह से पानी के तीन रूप- ठोस, तरल और भाप मातृभाषा के सहारे बेहतर ढँग से समझाए जा

सकते हैं- पर बच्चे के मन में अवधारणा स्पष्ट होने के बाद। मातृभाषा के ज़रिए पारिभाषिक शब्दों का आदान-प्रदान भी हो सकता है। दूसरी-तीसरी भाषा भले ही जुड़ जाए पर मातृभाषा का प्रयोग चलते रहना चाहिए। वे अपनी मातृभाषा के ज़रिए और भाषाओं को समझने लगते हैं। हमें तो केवल शिक्षा की नदी पर एक अच्छा मज़बूत पुल बनाना है।

ध्यान देने की बात यह भी है कि हम वही सुनते और समझते हैं जो पहले से नहीं पता। बाकी सब कुछ जो हमें मामूली-सा लगता है, हम उसे छोड़ देते हैं। ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ही जो मज़दूर बिहार से असम, पंजाब आदि जगहों में जाते हैं वे वहाँ की भाषाएँ सीख भी लेते हैं।

यूनेस्को के शैक्षणिक आधार पत्र (2003) के अनुसार आरंभिक शिक्षण के लिए मातृभाषा अत्यंत आवश्यक है और इसे जहाँ तक बरकरार रखा जा सके, रखा जाना चाहिए। कुछ अध्ययनों (जैसे सहगल 1983) ने दिखलाया है कि जो बच्चे मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं वे भाषिक या विद्वता के स्तर पर अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ रहे समान स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में कहीं से भी कम नहीं ठहरते। 15-17 वर्ष के बीच के 78 बच्चों पर किए गए शोध के बाद गुप्ता (1995) का कहना है कि आरंभिक अवस्था में दो वर्षों तक मातृभाषा का माध्यम के रूप में इस्तेमाल, बच्चों में मातृभाषा व द्वितीय भाषा में ज़्यादा अच्छी दक्षता उत्पन्न करता है।

– भारतीय भाषाओं का शिक्षण, राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र, 1-3, पृ- 15

बहुभाषिकता की चुनौतियाँ

- सबसे पहली बात यह कि भाषा के रूप में भाषा पढ़ाना अलग बात है और माध्यम के रूप में उसका उपयोग अलग बात है। भाषा पढ़ाना सिर्फ़ भाषा शिक्षक का ही काम नहीं है। दूसरे विषय को पढ़ना-पढ़ाना भाषा के तत्वों के बिना संभव नहीं है। विज्ञान में भी क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम होते हैं। हिंदी या कोई भी भाषिक संरचना और विज्ञान की अवधारणा साथ-साथ चलनी चाहिए।
- बहुभाषिकता में दूसरी समस्या लिपि की आती है। उदाहरण के तौर पर ज़ेमी (असम और नागालैंड में) ने रोमन लिपि चुनी है। इस प्रक्रिया में वे बच्चे को 'ए' से 'ज़ेड' तक सिखाएँगे

आज की कक्षाओं में अंग्रेजी में पढ़ाई देखकर कभी-कभी ख्याल आता है कि पहले लोग हीरे जवाहरात लूटते थे। आजकल भाषा के जरिये दिल और दिमाग लूटते हैं।

– एक प्रतिभागी

जबकि ज़ेमी में ये सारे अक्षर इस्तेमाल में नहीं आते।

- तीसरी समस्या यह है कि स्कूलों में लिखने-पढ़ने पर बहुत जोर है- बोलने और सुनने पर बिलकुल ही नहीं।
- शिक्षण-अधिगम सामग्री का उपयोग भी एक समस्या है। वह न तो सुरुचिपूर्ण होता है और न ही संस्कृति से मेल खाता है। उड़ीसा की जनजातियों में जन्मदिवस पर उपहार देने का प्रचलन नहीं है पर इस तरह के उदाहरण शामिल कर लिए जाते हैं।
- एक और समस्या भाषा शिक्षक की नियुक्ति को लेकर है। भाषा शिक्षक नियुक्त ही नहीं किए जाते। कोई भी व्यक्ति या किसी भी विषय के अध्यापक को यह काम दे दिया जाता है। भाषा ही तो पढ़ानी है।
- समुदाय को किसी भी स्तर पर जोड़ने की पहल नहीं की जाती। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का रहना ज़रूरी है और बाद में और भाषाएँ जोड़ी जा सकती हैं। अड़चनें ज़रूर आएँगी पर उनके लिए समाधान खोजे जा सकते हैं।
- हम जब कक्षा में पढ़ाएँ तो एक भाषा का संबंध दूसरी भाषा से जोड़ें, अकेले एक ही भाषा को लेकर चलेंगे तो कक्षा में बात हो ही नहीं सकती। पर दुख इस बात का है कि जिस तरह से खेत-खलिहान, चिट्ठी आदि विलुप्त हो रहे हैं उसी तरह से बहुत से शब्द भी विलुप्त हो रहे हैं। पुआल का टाल, मेह, गौन, डाल, ऐंच, उरेब, भूजब इत्यादि शब्द हिंदी में अब प्रयोग में रह नहीं गए।

साहित्यकारों को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि बहुभाषिकता की वजह से ही हम और भाषाओं को जान पाते हैं। कबीर बहुभाषी संत कवि थे। उन्होंने लोगों को समझाने के लिए सधुक्कड़ी भाषा अपनाई। हबीब तनवीर का 'आगरा बाज़ार' और भिखारी ठाकुर का बहुचर्चित नाटक 'बिदेसिया' बहुभाषिकता की एक बानगी है।

बर्लिट्ज भाषा स्कूल ... करके सीखने वालों के लिए संसाधनों का एक अच्छा उदाहरण है। ये स्कूल कानून बनाकर हमें मजबूर नहीं करते कि हमें एक और भाषा सीखनी ही पड़ेगी। वे यह भी नहीं कहते कि एक और भाषा सीख लेने पर हमें बढ़िया नौकरी मिल जाएगी या हम सफल व सम्पन्न हो जाएँगे, और न ही यह कहते हैं कि न सीखने पर हम असफल और गरीब हो जाएँगे। वे इस तरह का कोई वायदा नहीं करते या धमकी नहीं देते। वे सिर्फ़ इतना ही कहते हैं कि यदि हम एक और भाषा बोल सकें तो हम जीवन का लुत्फ उठा सकेंगे।

– शिक्षा की बजाय, जॉन होल्ट

हमारा देश बहुभाषी है इसलिए बहुत-सी भाषाओं को जानना न केवल हमें एक दूसरे से ही जोड़ेगा बल्कि भाषाओं को भी एक-दूसरे से जोड़ेगा। भाषा विचारों का पहिया है और द्विभाषी होना इंसानी फ़ितरत। हम एक ऐसा समाज भी बनाना चाहते हैं जो बहुत-सी भाषाएँ बोले पर अपनी ज़ुबान में। और सबको लगे कि यह बात अंततः उसके बारे में है।

जॉर्ज स्टाइनर ने अपनी किताब 'द मॉडर्न वर्स इन ट्रांसलेशन' में अपनी माँ को समर्पित करते हुए लिखा था - "टू माई मदर हू स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेज़ बट इन हर ओन टंग" (माँ के लिए, जो बहुत सी भाषाएँ बोलती है पर अपनी ज़ुबान में)।

साथ गई *बो* भाषा, खतरा आगे भी

अंडमान में एक 85 वर्षीय महिला बोआ सीनियर के निधन के साथ ही प्राचीन भाषा **बो** *को आगे ले जाने वाली कड़ी हमेशा के लिए टूट गई। इसे भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है क्योंकि वह दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक को बोलने वाली अंतिम व्यक्ति थीं। उल्लेखनीय है कि अंडमान की प्राचीन भाषाओं का स्रोत अफ्रीका को माना जाता है। कई अंडमानी भाषाएँ तो 70 हज़ार साल तक पुरानी मानी जाती हैं। अग्रणी भाषाविद् प्रो. अन्विता अब्बी का कहना है कि अपने माता-पिता की मौत के बाद पिछले 30-40 वर्षों से बोआ* **बो** *भाषा में बोलने वाली अंतिम व्यक्ति थीं। बोआ अक्सर खुद को बहुत अकेला महसूस करती थीं। अन्य लोगों से बातचीत के लिए उन्हें अंडमानी हिंदी सीखनी पड़ी थी।*

चूँकि अंडमानी भाषाओं को पाषाण युग से चली आ रही भाषाओं का अंतिम अवशेष माना जाता है, इसलिए कहा जा सकता है कि बोआ सीनियर के निधन से भाषाओं की गुत्थी का एक सिरा हमेशा के लिए खो गया। अंडमान की जनजातियों को चार समूहों में रखा जाता है- ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओन्गी और संटीनली। बोआ सीनियर ग्रेट अंडमानी समूह से थीं। अब इस जनजाति के 50 के करीब लोग ही बचे हैं जिनमें से अधिकतर बच्चे हैं।

– आधार बी.बी.सी. समाचार

4
विषयों के केंद्र में भाषा

- **इतिहास के झरोखे से**
- **सभी विषयों का अध्यापक भाषा का अध्यापक है**
- **चिंतन की आजादी और मौलिकता का सवाल**
- **भाषा और अन्य विषय**
- **तकनीकी शब्दावली और बच्चे की समझ**
- **उच्च शिक्षा और अन्य विषय**

भाषा एक औज़ार है जिसका इस्तेमाल हम जिंदगी को समझने के लिए, उससे जुड़ने के लिए और जीवन-जगत को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं।

भाषा केवल संप्रेषण का साधन ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम भी है जिसके सहारे हम अधिकांश जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक व्यवस्था है जो बहुत हद तक हमारे आस-पास की वास्तविकताओं और घटनाओं को हमारे मस्तिष्क में व्यवस्थित करती है। यह कई तरीकों से हमारी पहचान का एक चिह्न है और अंततः यह समाज से, सत्ता और शक्ति से बहुत नज़दीकी से जुड़ी हुई है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम केवल दूसरों से बात करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आप से बात करने के लिए भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यह वास्तव में भाषा का महत्त्वपूर्ण कार्य है। हम अपने विचारों को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं जब तक कि हम पहले अपने आप से बात करना न सीखे हों।

विभिन्न विषय-क्षेत्रों जैसे इतिहास, भौतिक विज्ञान अथवा गणित से बात करने या समझने के लिए भी हमें भाषा की आवश्यकता होती है। चाहे हम प्रकृति को देखें या समाज को हम काफ़ी हद तक उन्हें अपनी भाषा की संरचना के माध्यम से ही देखते हैं।

गरीब तबके के जो बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों मे दाखिल हो रहे हैं- उन सबकी कहानी लगभग एक-सी है। भाषा के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते और वे धीरे-धीरे हाशिए की ओर बढ़ते चले जाते हैं। दाखिले के लिए सरकार की कई तरह की योजनाएँ हैं। पता नहीं शिक्षण व्यवस्था में इस बात पर चिन्तन क्यों नहीं किया जा रहा कि भाषा का अंतर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा।

एक बच्चे के अभिभावकों की इच्छा थी कि उनका बच्चा अंग्रेज़ी माध्यम से स्कूली शिक्षा ग्रहण करे। उस बच्चे को अपने घर के आस-पास अंग्रेज़ी भाषा का वातावरण उपलब्ध न था। वह बच्चा धीरे-धीरे पिछड़ता चला गया। सातवीं-आठवीं तक पहुँचते-पहुँचते वह कई विषयों में फेल होने लगा जिसके कारण उसका आत्मसम्मान और सृजनात्मकता धीरे-धीरे शून्य के बराबर हो गया। इस स्थिति को देखते हुए उस बच्चे को हिंदी माध्यम स्कूल में डालना ही पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल नवीं दसवीं कराने से इनकार कर रहे थे। पहले तीन चार महीने तो बच्चे को एक नए महौल को समझने में लगे, लेकिन उसके बाद उस बच्चे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्योंकि अब उसे सभी विषय समझ आ रहे थे 'अपनी भाषा में'। वह अपनी समझ को अपने आस-पास, अपने वातावरण से जोड़ रहा था। देखते-देखते वह नवीं की वार्षिक परीक्षा में अव्वल आया।

– एक प्रतिभागी

इतिहास के झरोखे से

देखने की बात है कि मध्यकाल में और उसके बाद जो हस्तकला विकसित हुई वह अपनी-अपनी भाषाओं के जरिए विकसित होती थी। शिल्प के लिए उसके अलग-अलग केंद्र होते थे। वहाँ वे अपनी-अपनी भाषा में ज्ञान और निपुणता प्रदान करते थे और पीढ़ी-दर-पीढ़ी वह निपुणता चलती थी। अब वह भी समाप्त हो गई, क्योंकि पूँजीवाद के विकास ने उन सब शिल्पों को भी नष्ट किया और साथ-साथ उन शिल्पों के साथ जुड़े मुहावरे भी नष्ट हुए। वे भाषाएँ भी समाप्त हो गईं। वे शिल्प जो समझ का एक माध्यम थे, वे भी समाप्त हो गए। इसी तरह जिन्हें आदिवासी भाषाएँ कहा जाता है, ज्ञान का एक वृहत् भंडार जो आदिवासी समूह के पास था, नष्ट हुआ

ईसा के 500 वर्ष पूर्व वाराणसी में एक घटना घटी थी। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश एक लोक भाषा में दिया था और उस उपदेश ने भाषाओं की सीमा को पार करते हुए समूचे भारत में और समूचे एशिया में एक ज्योति जलाई थी। मध्यकाल में वाराणसी में जब कबीर ने कहा कि 'संस्कृत है कूपजल, भाषा बहता नीर' उस समय भी बहुत सारी भाषाएँ थीं। लेकिन भारत की सभी भाषाओं में यह आवाज पहुँची। भक्ति आंदोलन ने संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बाँधा और समरसता की धारा को सब में प्रवाहित करने का कार्य किया।

– एक प्रतिभागी

और नष्ट किया जा रहा है। अभी जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें शिक्षा का माध्यम या तो अंग्रेज़ी है या हिंदी। खासतौर से वहाँ अंग्रेज़ी का झुकाव मिलता है और वहाँ भी अपनी भाषाओं में पढ़ाई न के बराबर है। इससे देसी लोक कलाओं और शिल्प के मरने के खतरे भी बढ़े। हस्त कलाओं और शिल्प तथा संगीत को बचाने का भी हमारे पास एकमात्र रास्ता है - अपनी भाषा में मजबूत पकड़ बनाना।

सभी विषयों का अध्यापक भाषा का अध्यापक है

दिमाग में भाषा के साथ समस्या हल की प्रक्रिया किस तरह से चलती है और किस तरह से अवधारणाओं को विकास की ओर ले जाती है, यदि यह बात समझ में आ जाए तो समझ का माध्यम तय करना आसान हो जाएगा।

अवधारणाओं का विकास अवधारणाएँ देने से नहीं होता। साहित्य अमूर्त है पर वहाँ भी अवधारणाओं का विकास होता चलता है। सामाजिक अध्ययन की बहुत-सी अवधारणाएँ नक्शे की मदद से बनती और खुलती हैं। नक्शे को गणित की मदद से समझा जा सकता है। गणित ही नक्शे को समझने के लिए विशेष समझ विकसित करता है। नक्शे इतिहास पर भी नजर डालने में मदद करते हैं। गणित की अवधारणाएँ स्थूल और स्थायी हैं इसलिए उसका ताना-बाना समझ में आ जाता है। पर सामाजिक अध्ययन का ताना-बाना बदलता रहता है जो अपनी भाषा से ही समझ में आता है।

प्राथमिक शिक्षा की पूरी पाठ्यचर्या में भाषा का परिप्रेक्ष्य विशेष महत्त्व रखता है। विभिन्न अर्थपूर्ण संदर्भों के जरिये ही भाषा सबसे अच्छे तरीके से सीखी जा सकती है, इसीलिए हर विषय का शिक्षण एक अर्थ में भाषा-शिक्षण ही है। यह परिप्रेक्ष्य माध्यमिक शिक्षा के अमूर्त विचारों के संदर्भ में भाषा की केंद्रीयता को रेखांकित करता है। जहाँ शुरूआती स्तर पर संदर्भगत अर्थ भाषा प्रयोग को बढ़ावा देते हैं वहीं बाद के स्तरों पर सिर्फ़ भाषा के जरिये ही अर्थ को पाया जा सकता है। भाषा शिक्षा के केन्द्र में है और हर अध्यापक पहले भाषा का है फिर विषय का।

– एक प्रतिभागी

चिंतन की आज़ादी और मौलिकता का सवाल

गांधी जी ने नई तालीम की योजना बनाते हुए अपने एक मित्र की पाठशाला में बच्चों से सवाल किया "एक व्यक्ति एक सेब चार आने में खरीदता है और एक रुपये में बेचता है।

तो उसे क्या मिलेगा?" गांधी जी का मानना है कि बच्चा अगर जवाब में यह नहीं कहता कि 'उसे जेल मिलेगी' तो वह निश्चय ही भाषा को गणित से तालमेल बिठाकर देखने वाला आज़ाद भारत का बच्चा कहलाने योग्य नहीं है। हमें अपने बच्चे को ऐसी आज़ादी देनी होगी जिसमें वह अपनी भाषा में अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सके। यह अपनी भाषा में शिक्षा से ही संभव है।

विज्ञान के विद्यार्थी पर दोहरी जिम्मेदारी है। उनको एक साथ दो भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। एक, समझ की भाषा और दूसरे, विज्ञान की। विज्ञान बिंबों में बात नहीं करता। वह सपाटबयानी की माँग करता है। वह बेबाक टिप्पणी करता है। विज्ञान के विद्यार्थी को 'नॉन-कंफर्मिस्ट' भी होना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा था कि 'बातों को इसलिए नहीं मानो कि बुजुर्गों ने कहा था, उसे जाँचों, परखो तब मानो।' यह सब कुछ शिक्षा में अपनी भाषा की आज़ादी के बगैर संभव नहीं। यह आज़ादी शिक्षक को देनी पड़ेगी। हर शिक्षक चाहे वह गणित का हो या विज्ञान का, वह भाषा का ही अध्यापक होता है। भाषा पढ़ाना सबकी ज़िम्मेदारी है, सिर्फ़ भाषा अध्यापक की नहीं। गणित, समाज विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में मौलिक चिंतन भी अपनी भाषा में शिक्षा से ही संभव है।

भाषा और अन्य विषय

भाषा हम सबके ज़ेहन में है। अवधारणाओं का ढाँचा इसी भाषा से बनता है। अपने अनुभवों के आधार पर हम अपने मानस में आए चित्र को जीवंत बनाकर ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। गणित, विज्ञान सभी में ऐसी अवधारणाएँ हैं जो भिन्न-भिन्न चीज़ों के स्वरूप को हमारे सामने उसी रूप में रख जाती हैं। जैसे पृथ्वी गोल है; यहाँ गोल की अवधारणा हमारे सामने स्वतः बन जाती है। दो रोटी, तीन भाई। हम रोटी को 'दो' से, भाई को 'तीन' से जोड़ पाते हैं। चार साल का बच्चा यह सब कर लेता है। कुर्सी की परिभाषा सबकी अपनी-अपनी और अलग-अलग होगी। किस तरह से एक धारणा के साथ और धारणाओं का संबंध बनता है, यह बात बच्चे जानते हैं और स्कूल में जो परिभाषाएँ दी जाती हैं, जिस तरह से दी जाती हैं, उनसे शायद संदेह उभरता है। बच्चे की एक अपनी भाषा होती है जिसमें उसने अपना व्यक्तित्व गढ़ा है, एक समाज की भाषा है, फिर विषय की भाषा भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें उसे जानकारी उपलब्ध करनी है। जो भाषा बच्चे जानते हैं, उसमें पढ़ना-लिखना, बातों को समझना आसान होता है। इसका क्रियान्वयन कैसे हो, यही हमें तय करना है। यदि पढ़ने-लिखने के शुरुआती सालों में अपनी समझ पैदा करने या बढ़ाने के लिए अपने शब्द मिले तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, छवि बनाना आसान हो जाता है।

स्कूलों में गणित में 'सिलिन्ड्रकल' के लिए 'बेलनाकार' शब्द सिखाया जाता है। यह शब्द बच्चे के दिमाग में कौन-सी छवि लाता है - गेंद, सर्कल, गोल, वृत्ताकार, गोलाकार इत्यादि।

तकनीकी शब्दावली और बच्चे की समझ

यहाँ पर हम बच्चे के पूर्वज्ञान का नए ज्ञान और नई शब्दावली के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। बेलनाकार की जगह 'चूड़ी आकार', 'गेंद आकार' जैसे शब्द क्यों नहीं लिए जा सकते। चुंबक के लिए आकर्षण-विकर्षण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द सामान्य तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते तो अनजाने शब्दों का भार क्यों बढ़ाया जाए। इसीलिए बच्चे की स्थिति यह है कि शक्ति, ताकत, बल, ऊर्जा इन सभी शब्दों का एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं जबकि तकनीकी इस्तेमाल में उनके अर्थ बदल जाते हैं। हम बच्चे के ज़ेहन को इस्तेमाल में ला सकते हैं? कुछ उदाहरण एन.सी.ई.आर.टी. की किताबों से -

सीमा का सैकड़ा

सीमा ने अलग-अलग तरह की बिंदियों से एक डिज़ाइन बनाई है।

- अलग-अलग समूहों को ध्यान से देखो और बिंदियों की कुल संख्या का अंदाज़ा लगाओ।
- कुछ और समूहों के चित्र बनाओ ताकि 100 बिंदियाँ पूरी हो जाएँ। तुम्हें कितनी और बिंदियाँ बनानी पड़ीं?.....

स्रोत: गणित का जादू, पुस्तक 2, कक्षा 2, एन.सी.ई.आर.टी.

कितने सहज रूप में बच्चे गणित सीख रहे हैं और अपने आस-पास के जीवन से जुड़ रहे हैं।

पत्ते

क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं?

दयाराम ने कहा - मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा और कोई तिकोना!

अम्मू बोली - इन सबके रंग भी कितने अलग-अलग हैं- कोई हलका हरा तो कोई गाढ़ा हरा। कोई तो पीला, लाल, बैंगनी है। एक पत्ता है तो हरा, पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं।

शबनम बोली - देखो, पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग-अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है, तो किसी का कटा-फटा। कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं। अब मैं बनूँगी 'पौधों की परी' अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले।

कुछ पत्ते इकट्ठे करो जैसे - नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और उनकी महक सूँघो। क्या सभी पत्तों की महक एक-सी है? क्या तुम सिर्फ़ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे?

देखो, कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, यह सूखे पत्तों से ही बने हैं। तुम भी अब सूखे पत्तों से अलग-अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ।

स्रोत: आस-पास, पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 3

मरुभूमि के लोगों ने अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने के लिए एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को तीन रूपों में बाँटा है। पहला रूप है- पालरपानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। पानी का दूसरा रूप पातालपानी कहलाता है। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है।

पालरपानी और पातालपानी के बीच पानी का तीसरा रूप है- रेजाणी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजाणी है।

स्रोत: वितान भाग 1, कक्षा 11, हिंदी, एन.सी.ई.आर.टी.

ये दोनों उदाहरण पर्यावरण को सहज शब्दावली में प्रस्तुत करते हैं। दूसरे उदाहरण में पालरपानी, पातालपानी, रेजाणीपानी जैसे जनपदीय शब्दावली को सहज रूप में बताया गया है न कि तकनीकी शब्दावली में। बच्चे इस प्रक्रिया को आसानी से बिना रटे समझ जाएँगे।

कुछ अन्य उदाहरण –

आज सुगंधा बहुत खुश है। उसके स्कूल के सभी बच्चे अध्यापकों के साथ भोपाल घूमने जा रहे हैं। मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं कि कुल कितनी बसें चाहिए।

मीनाक्षी मैडम - हमें चार बसें चाहिए।

राकेश सर - मुझे लगता है पाँच की ज़रूरत पड़ेगी।

मीनाक्षी मैडम - हर बस में 50 सीटें हैं।

राकेश सर - पहले पता कर लें कि कितने बच्चे जा रहे हैं।

कक्षा	बच्चों की संख्या
I	33
II	32
III	42
IV	50
V	53
कुल	210

- तो कुल मिलाकर .....बच्चे जा रहे हैं।
- अगर उन्हें चार बसें मिलती हैं तो कितने बच्चे बैठ पाएँगे? .....
- क्या कोई बच्चा बैठने से रह जाएगा?

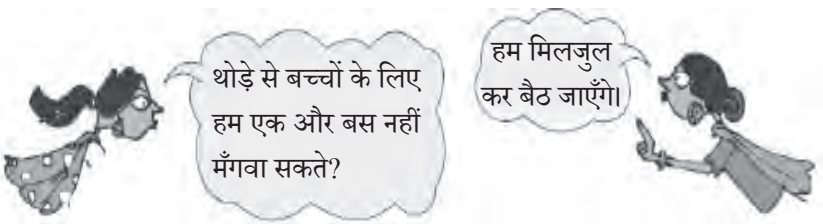

— गणित का जादू, पुस्तक 2, कक्षा 2, एन.सी.ई.आर.टी

जल्दी-जल्दी फटाफट

बच्चे कक्षा में एक गोल घेरे में बैठे हैं।
ये इस खेल को खेल रहे हैं और गा रहे हैं।

क्या है लंबा, क्या है गोल?
जल्दी बोल, जल्दी बोल।

रीना कहती है-

सभी बच्चे गा रहे हैं
क्या है लंबा, क्या है गोल?
जल्दी बोल, जल्दी बोल।

मोनू कहती है -

और इस तरह से खेल चलता रहता है।

♦ तुम भी इस खेल को अपनी कक्षा में खेलो। बारी-बारी से एक लंबी और एक गोल चीज़ के नाम बोलो। खेल में जिस चीज़ का नाम एक बार बोल दिया जाए उसे दोबारा नहीं बोलना है।

– गणित का जादू, पुस्तक 2, कक्षा 2, एन.सी.ई.आर.टी

भीमबेटका की ओर

बसों में डीज़ल भरवाने के बाद, यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब बच्चों को यह बताया गया कि वे पहले भीमबेटका रुकेंगे।

अंजन - भीमबेटका क्या है?

रैना मैडम - यह एक जगह है जहाँ बहुत सारी गुफ़ाएँ हैं और गुफ़ाएँ में चित्रकारी की गई है जिन्हें दस हज़ार साल पहले बनाया गया था।

सुमोंतो - दस ह---जा---र साल! मैं तो एक हज़ार साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता।

गोपी - ओह! एक हज़ार साल तो बहुत होते हैं। मैं तो सौ साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता।

गौरी - मैं 100 साल के बारे सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की दादी माँ 100 साल की हैं।

मंजीत - इसका मतलब ये गुफ़ाएँ लगभग सौ परदादी माँ जितनी पुरानी हैं!!

सभी ज़ोर-ज़ोर से हँस पड़े - हा! हा! हा!

बच्चे गुफ़ाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे। लगभग 11 बजे वे भीमबेटका पहुँचे।

– गणित का जादू, पुस्तक 2, कक्षा 2, एन.सी.ई.आर.टी

शंकर - इस चित्र में बहुत बड़े-बड़े साँड़ बने हैं। अरे! मुझे एक बात सूझी है। न चित्रें में मैं साँड़ों को गिनता हूँ और तुम हिरणों को गिनो।

बोनोमाला - मैं लोगों को गिनती हूँ। देखते हैं कौन ज़्यादा हैं - साँड़, हिरण या लोग।

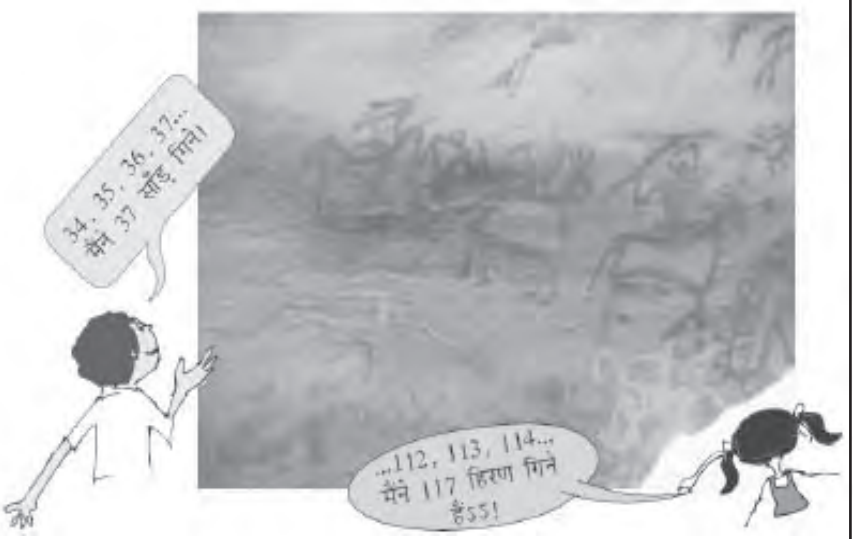

♦ यहाँ पर साँड़ से हिरण कितने ज़्यादा हैं? .....

लेकिन बोनोमाला सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि लोगों की संख्या साँड़ों और हिरणों की संख्या दोनों को मिलाकर उनसे ज़्यादा थी। लेकिन उसकी गिनती 200 से कम थी।

♦ उसने कितने लोगों को गिना होगा?

214, 154, 134, 177

गाइड ने बताया कि यहाँ कुल मिलाकर 600 गुफ़ा-चित्र हैं।

अब भीमबेटका से चलने का समय हो गया था।

स्रोत: गणित का जादू, पुस्तक 2, दूसरी कक्षा, एन.सी.ई.आर.टी.

(उपर्युक्त सभी उद्धरण विषयों को भाषा की सहजता के साथ प्रस्तुत करने के सुंदर प्रयास हैं।)

उच्च शिक्षा और अन्य विषय

दूसरा सवाल इससे जुड़ा यह होता है कि अगर प्रारंभिक स्तर पर इन भाषाओं का उपयोग हो और उनको इन भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा दी जाए तो आगे क्या हो? मान लीजिए दसवीं कक्षा तक वह इस तरह से पढ़ जाएँ फिर आगे की पढ़ाई वे किस भाषा में करेंगे? उन्होंने दसवीं कक्षा तक संथाली में पढ़ाई की तो पर जब वे ग्यारहवीं में जाएँगे या फिर इंजीनियरिंग या मेडिसिन पढ़ने जाएँगे तब उनकी पढ़ाई किस भाषा में होगी? अगर वह सिर्फ़ बी.ए., एम.ए. भी करेंगे तो किस भाषा में पढ़ेंगे? यदि वे संथाली, जैसी आदिवासी भाषाओं में ही पढ़ाई करते हैं तो क्या हमारे विश्वविद्यालय सक्षम हैं-इन भाषाओं में पढ़ाने में? अगर संथाली में पढ़ भी जाएँ तो तीसरा सवाल यह होगा कि क्या उन्हें नौकरी मिलेगी? अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी? यह कैसी व्यवस्था है जो अपनी ही भाषा में पढ़े हुए नागरिकों को नौकरी नहीं दे सकती। यहाँ नौकरी को पाने के लिए अंग्रेज़ी का ज्ञान अनिवार्य हो गया है। यद्यपि हाल में पूरी दुनिया में जो लगातार गिरावट और मंदी का दौर आया है उसको देखते हुए एक बार फिर पूरी दुनिया को लगने लगा है कि सिर्फ अंग्रेज़ी का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। हमें बच्चों और समाज को यह विश्वास दिलाना होगा।

प्राथमिक शिक्षा से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक यह तंत्र फैला हुआ है। केवल समझ के माध्यम की बात नहीं, सवाल यह भी होना चाहिए कि समझ के माध्यम को पा लेने के बाद जीवित रहने का माध्यम क्या होगा यानि समझ तो हमें मिल जाएगी लेकिन हम जीवित कैसे रहेंगे? जब तक ऐसी अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक समझ के माध्यम के रूप में हमारी मातृभाषाओं और देश की हज़ारों भाषाओं का कोई भविष्य नज़र नहीं आता इसीलिए मज़बूरी में लाख हमारे गाँवों में हिंदी का मज़ाक उड़ाया जाए या हम अंग्रेज़ी का भी मज़ाक उड़ाएँ पर अंततः मज़बूर होकर हर माता-पिता को अपने बच्चों को हिंदी या अंग्रेज़ी में ही पढ़ाना पड़ता है। सबसे अच्छा तो अंग्रेज़ी में पढ़ाना है। वे निश्चिंत हो जाते हैं कि चाहे जो हो इसको रोजी-रोटी मिल जाएगी। जो समाज हमने बनाया है सवाल उस समाज को बदलने का भी है और तभी हम समझ का माध्यम अपनी भाषाओं को बना पाएँगे।

उच्च शिक्षा में भी इस समझ को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। पर कुछ चीजों के बारे में विचार करना होगा। क्या सभी भाषाओं में इतनी सामग्री उपलब्ध है? दुनिया में शिक्षा पर जो इतना चिंतन हुआ है, क्या वह सभी भाषाओं में उपलब्ध है?

– एक प्रतिभागी

रूस और दुनिया के दूसरे देशों में जैसे जापान, चीन आदि देशों ने अपनी भाषा में ही शुरू से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा प्रदान की। जर्मनी ने वही किया। चीन वही कर रहा है। अपने अंग्रेज़ी लोभ के बावजूद वहाँ चीनी ही ज्ञान की भाषा बनी हुई है, प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक। लेकिन हमारे यहाँ अभी ऐसा नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा नतीजा यह है कि हमारी भाषाएँ ज्ञान की भाषाएँ नहीं बन पाई हैं। आज़ादी से पहले विभिन्न क्षेत्रें में जो विद्वान हुआ करते थे, मौलिक चिंतक होते थे वे बाद में कम होते गए। जगदीश चंद्र बसु ने अपनी बहुत-सी किताबें बांग्ला में लिखीं। बाद में उसी संस्कार से प्रेरित होकर महान वैज्ञानिक जयंत नार्लीकर ने मराठी में लिखा और हिंदी में भी लिखा। मेघनाथ साहा ने अपनी किताबें बांग्ला मे लिखीं। इस तरह ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रें में लोग आए और उन्होंने अपनी भाषा, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ज्ञान को आगे बढ़ाया। बाद में यह घटता गया। ये चीज़ बढ़नी चाहिए लेकिन वह घटती गई इसलिए कि हमारा लक्ष्य सिर्फ़ उपादेयता हो गया। ऐसे उपयोगी लोगों को तैयार करना जो खा-कमा सकें। पूरा देश ऐसे लोगों को पैदा कर रहा था जो सामान बेच सकें, सामान बेचने वालों की सेवा कर सकें और जो सामान बेचने के लिए बाहर से सामान ला सकें। इस स्थिति का सामना करने के लिए अपनी भाषा में शिक्षा पर बल देना होगा। अपनी भाषा को ज्ञान की भाषा बनाना होगा और इन सबके लिए विभिन्न भाषाओं, विभिन्न ज्ञान के बीच संवाद बनाना होगा। वर्तमान में ज्ञान की भाषा अंग्रेज़ी से भी कई स्तरों पर संवाद कायम करना होगा।

ध्यान देने की बात है कि रूस ने जो समाज 1917 के बाद रचा वह ऐसा समाज बन रहा था जिसमें छोटी से छोटी भाषा के लिए भी जगह थी। महमूद रसूल हमज़ातोव जैसे लेखक, जो दागिस्तान के रहने वाले थे और अपने खानदान में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पढ़ाई की। उनकी भाषा अवार थी। अवार भाषा बोलने वाले मुश्किल से 2-4 लाख लोग थे। अब शायद इससे भी कम हो गए होंगे। लेकिन इन 2-4 लाख लोगों के लिए उनकी भाषा में पढ़ाई की जो व्यवस्था वहाँ कायम की गई उसी का नतीजा था कि रसूल हमज़ातोव जैसा विश्वविख्यात लेखक निकला। और 'मेरा दागिस्तान' उनकी अनूठी किताब है। शायद दुनिया की किसी भाषा में ऐसी दूसरी किताब नहीं लिखी गई। उसका दुनिया की दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुआ। केवल दो लाख लोगों की भाषा में लिखी गई यह किताब दुनिया की महान किताबों में गिनी गई। दूसरी तरफ अफ्रीका में ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ की भाषा में ज्ञान की रचना नहीं होती। कीनिया के लेखक अंगूगी

अंग्रेज़ी में लिखते हुए महान बने रहे पर जब उन्होंने अपनी भाषा किकियु में लिखना चाहा तो उनका बहिष्कार हुआ और आज वे निष्कासित जीवन जी रहे हैं। हमारा देश भी आज ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहा है। अपनी भाषा का अच्छा से अच्छा लेखक कहीं कोने में पड़ा रहता है। इस संकट से उबरने का रास्ता खोजते हुए हमें रूस, जर्मनी, चीन, जापान इत्यादि देशों से सीखना होगा और अपनी भाषा को ज्ञान विज्ञान से जोड़ना होगा।

– एक प्रतिभागी

मेरा अनुभव

मातृभाषा के लिए मेरा इतना प्रेम होते हुए भी मैं आज तक भूमिति, बीजगणित आदि के गुजराती पारिभाषिक शब्द नहीं जानता। अब मेरी समझ में आता है कि अगर अंग्रेजी के बजाय मैंने गुजराती के द्वारा सीखा होता, तो अंकगणित, भूमिति, बीजगणित, रसायनशास्त्र और खगोलविद्या के बारे में जो बातें सीखने में मुझे चार वर्ष लगे, उन्हें मैं आसानी से एक साल में सीख लेता। उन विषयों का ज्ञान मुझे ज्यादा आसानी से और अधिक स्पष्ट होता। मेरा गुजराती शब्द-भंडार अधिक संपन्न हो गया होता। इस ज्ञान का मैं अपने घर में उपयोग करता।

× × ×

मैं चाहता हूँ कि उस भाषा (अंग्रेज़ी) के रत्नों को और उसके ही क्यों, संसार की अन्य भाषाओं के रत्नों को भी हम अपनी ही देशी भाषाओं के द्वारा जुटाएँ। रवीन्द्रनाथ की अद्वितीय रचनाओं की खूबियों को जानने के लिए मुझे बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं होती। मुझे वे अच्छे अनुवाद के द्वारा मिल जाती हैं। गुजराती लड़के और लड़कियों को टॉलस्टाय की कहानियों को रसास्वादन करने के लिए रूसी भाषा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। वे उन्हें अच्छे अनुवाद के द्वारा पढ़ लेते हैं।

× × ×

शिक्षा का माध्यम तुरन्त और किसी भी कीमत पर बदला जाना चाहिए और प्रान्तीय भाषाओं को उनका उचित स्थान मिलना चाहिए।

– हरिजन 9-7-38, पृ. संख्या 177, महात्मा गांधी के चयनित कार्य (खण्ड V)

5

भाषाओं में संवाद

संदर्भ : अंग्रेज़ी और हिंदी

- **अंग्रेज़ी और हिंदी का संबंध**
- **सन् 1967 के बाद**
- **सन् 1987 का दौर**
- **बदलाव का नया दौर**
- **अंग्रेज़ी के विकास का इतिहास**
- **नए शब्द गढ़ने की ज़रूरत**

अंग्रेज़ी और हिंदी का संबंध

स्वाधीनता आंदोलन के दौरान और उसके बाद देश निर्माण का जो काम हो रहा है उसमें अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं का संबंध कभी अच्छा तो कभी समस्यामूलक भी रहा है। 1947 तक इनके बीच खास तरह का संबंध रहा है।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत से काम हिंदी के लिए भी समर्पित थे और आजादी के लिए भी। उस दौरान अपनी भाषा के प्रति प्रेम था और उसके लिए काम भी किया गया, पर अंग्रेज़ी के लिए नफरत नहीं थी। आज़ादी के दौरान एक बात और सामने आई। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपनी बहुत सारी रचनाएँ बांग्ला में लिखीं। लक्ष्मण शास्त्री ने अपनी भाषा में भी लिखा और अंग्रेज़ी में भी। पर सन् 1947 के बाद हालात बदले। उसके बाद अंग्रेज़ी का चलन शुरू हुआ। बहुत से वर्तमान इतिहासकारों ने हिंदी के विकास का इतिहास भी हिंदी में नहीं, अंग्रेज़ी में लिखा। वर्तमान समाजशास्त्रियों में पूरनचंद जोशी को छोड़ कर प्रायः सभी का लेखन मूलतः अंग्रेज़ी में ही है।

सन् 1967 के बाद

सन् 1967 से एक बदलाव आया। अगर ध्यान से देखा जाए तो 20 वर्षों के अंतराल में इन भाषाओं के संबंध में एक अंतर आया। सन् 1967 के दौर को अंग्रेज़ी के विरोध या घृणा का दौर कहा जा सकता है। कार की पट्टियाँ और जगह-जगह पर बोर्ड बदले गए। बिहार और उत्तर प्रदेश आदि में यह विरोध कुछ ज्यादा हुआ। जो लोग अंग्रेज़ी के खिलाफ़ यह आंदोलन चला रहे थे वे भूल गए कि उनके बच्चे कहाँ और कैसे शिक्षा

ले रहे हैं इसलिए इसका जायज़ा भी लिया जाना चाहिए कि उन दिनों अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा-दीक्षा लेने वाले बच्चों पर क्या असर पड़ रहा था। दूसरी तरफ यह भी ध्यान देने की बात है कि ऐसे लोग भी थे जो बिना अंग्रेज़ी पढ़े भी आगे बढ़ते गए। उनके साथ कुछ गलत हुआ या सही, इस पर भी शोध हो सकते हैं। इस दौर की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी, जिसे नेहरू जी ने 'डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया' में भी रेखांकित किया था - सवाल उठता है कि "इंग्लिस्तान के दो रूपों में से कौन-सा इंग्लिस्तान हिन्दुस्तान में आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला; उदारवादी लेखों और बहादुरी के कारनामों वाला; राजनीतिक क्रांति और आज़ादी के हक में लड़ाई करने वाला; विज्ञान और उद्योग की तरक्की को आगे बढ़ाने वाला इंग्लिस्तान यहाँ आया, या बहशियाना ज़ाब्ता फौज़दारी वाला, वर्बर व्यवहार करने वाला और सामंतवादी और प्रतिक्रियावादी इंग्लिस्तान आया?" (हिन्दुस्तान की कहानी पृ. 333) - ये व्यापारी स्पेन के हों या पुर्तगाल के, एक बड़ा सवाल तो उठता ही है। कुछ इस तरह के हालात पैदा हुए कि थोड़े से लोगों का एक अलग वर्ग बनता चला गया। वे अपना काम अंग्रेज़ी में करते रहे। उन्हें तमाम सहूलियतें मिलती रहीं और वे आगे बढ़ते रहे। संतुलन कायम नहीं हो पा रहा था। बहुसंख्यक लोग पिछड़ गए।

विद्यालयी शिक्षा में हिंदी और अंग्रेज़ी का परिदृश्य कुछ अलग ही तरह से उभरा। वहाँ पहली से पाँचवीं कक्षा तक अंग्रेज़ी नहीं थी। छठी से अंग्रेज़ी की पढ़ाई शुरू की जाती थी। शिक्षकों का अंग्रेज़ी संबंधी व्याकरण और ज्ञान बहुत अच्छा था पर वे बोल नहीं पाते थे। यद्यपि लिखने में सबकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होती थी पर बोलने में प्रवाह न था। यह दौर लोगों को दो वर्गों में बाँट गया- एक वर्ग अंग्रेज़ी में काम करने वाला और दूसरा वर्ग इसकी खिलाफ़त करने वाला।

सन् 1987 का दौर

अब अगर सन् 1987 के दौर पर आएँ तो पाएँगे कि इलेक्ट्रॉनिक और न्यू मीडिया की विशाल दुनिया हमारे सामने आई। यह दौर संचार क्रांति का था। एक दूसरी ही दुनिया का अहसास होने लगा और ऐसा लगने लगा कि अंग्रेज़ी के बिना बच्चे पिछड़ जाएँगे। गाँवों में भी अंग्रेज़ी विद्यालय खुलने लगे। सभी यह मानने लगे कि अंग्रेज़ी के बिना वे पीछे छूट जाएँगे। अभी भी वही दौर चल रहा है। गलत ही सही, पर फर्राटें से अंग्रेज़ी बोलने वाले का प्रभाव भी पड़ेगा और काम भी मिलेगा। आज जो समाज हमारे सामने है, जो

आर्थिक और सामाजिक संरचना खड़ी हुई है, वह अंग्रेज़ी की है। सवाल यह उठता है कि इसके बाद क्या होगा? क्या इस विषय पर हम कुछ सोच पा रहे हैं या फिर आगे ही भागते जा रहे हैं यह सोचने या इसका जायजा लेने की किसी को फ़ुर्सत ही नहीं कि बच्चे की समझ किस भाषा में बनेगी। रोजी-रोटी तो दूसरी भाषा के ज़रिए मिल सकती है पर समझ तो अपनी भाषा में ही बनती है। हमें देखना यह भी चाहिए कि आज़ादी के बाद भारत ने कितने वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री या समाजशास्त्री दिए। निश्चय ही इसका कारण शुरुआती दौर में अपनी भाषा में शिक्षा का न होना है।

बदलाव का नया दौर

इधर भाषा के संदर्भ में फिर से बदलाव का दौर आ रहा है। फ्रांस, चीन, रूस, जापान ने भाषा के संबंध में नए ढँग से सोचना शुरू किया। अब वे अपनी भाषा में ही बोलना पसंद करते हैं, पर भारत की स्थिति में फ़र्क है। हम अभी भी हीन-ग्रंथि के शिकार हैं। अपनी भाषा के प्रति समाज की सोच बहुत सकारात्मक नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आत्मसम्मान को खोकर भी हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाना चाहते हैं।

अंग्रेज़ी-हिंदी के संबंधों को हमें इस नज़रिए से भी सोचना होगा कि दुनिया के कई बड़े देशों ने अपनी भाषा को जीवित रखते हुए और उसके प्रति सम्मान रखते हुए भी बड़े देशों की बराबरी की है और विकास की कतार में आगे निकले हैं। हमें अपने लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि अपनी भाषा का सम्मान करते हुए दूसरों की भाषा का भी सम्मान किया जा सकता है।

अपनी भाषा के सम्मान में कीनिया के प्रतिष्ठित अंग्रेज़ी लेखक अंगूगी ने अंग्रेज़ी में लिखना छोड़कर अपनी भाषा कीकियू को अपना लिया। पाब्लो नेरुदा की इच्छा थी कि अपनी भाषा में पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय खुले, पर दूसरी भाषा भी उसी पंक्ति में विराजे।

अंग्रेज़ी के विकास का इतिहास

हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि अंग्रेज़ी भाषा भी एक लम्बा संघर्ष तय करके यहाँ तक पहुँची है। पहले अंग्रेज़ी इंग्लैंड और अमेरिका में कुलियों, किसानों और मज़दूरों की भी भाषा थी और शेक्सपियर भी इसी भाषा के थे। यानी अंग्रेज़ी सिर्फ़ प्रभुत्व की ही भाषा नहीं है।

यदि इस भाषा के विकास पर गौर करें तो पाएँगे कि जो लड़ाई हमारी भाषा लड़ रही है, वह अंग्रेज़ी ने भी लड़ी है। 16-17वीं शताब्दी तक अंग्रेज़ी ज्ञान की भाषा नहीं थी। अपने उचित स्थान के लिए उसने भी संघर्ष किया। हालात ये थे कि कुछ कुलीन स्कूलों के अहाते में कोई अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था। फ्रांसिस बेकन ने दोस्ती या प्रेम जैसे विषयों के लेख अंग्रेज़ी में लिखे पर न्याय, दर्शन, गणित की पुस्तकें, ज्ञान की बातें लैटिन में ही लिखीं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक लैटिन में ही लिखते थे। न्यूटन की मातृभाषा अंग्रेज़ी थी पर उन्होंने अपनी मुख्य पुस्तकें लैटिन में ही लिखीं। उन्होंने भी उस समय लैटिन का ही इस्तेमाल किया। जब वैज्ञानिक कमतर वर्गों से आने लगे तब अंग्रेज़ी में लिखा जाने लगा और उन्नीसवीं सदी तक अंग्रेज़ी छा गई। शिक्षा में अंग्रेज़ी का जोर बढ़ता गया। आज ज्ञान की सबसे बड़ी भाषा अंग्रेज़ी ही है।

नए शब्द गढ़ने की ज़रूरत

एक तरफ दुनिया की सारी भाषाएँ एक हो रही हैं तो दूसरी तरफ भाषा-शास्त्रियों की यह भी चिंता है कि सीमाएँ टूट रही हैं। बाज़ार ने रूसी, अंग्रेज़ी, जर्मन इत्यादि सबको एक जैसा कर दिया है। दरअसल भाषाएँ एक दूसरे से मुठभेड़ करते हुए बनती हैं। हिंदी ने भी तमाम शब्द अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं से ज्यों के त्यों लिए हैं। पर हर भाषा का अपना एक चरित्र होता है, अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक मिज़ाज होता है। वह भाषा दूसरी भाषाओं से मुठभेड़ करके अपने ढंग से नया शब्द गढ़ती है। जैसे हिंदी ने 'ऑफ़िसर' से 'अफ़सर' बनाया, 'रिपोर्ट' से 'रपट', 'सीमेंट' से 'सिलमिट' बनाया परंतु आज हिंदी में अंग्रेज़ी से मुठभेड़ करते हुए नए शब्द गढ़ने का आत्मविश्वास लगातार कम हो रहा है। अधिकांश अंग्रेज़ी के शब्दों को ज्यों के त्यों उनके उच्चारण के

> *भाषा मात्र शब्द और अर्थों से नहीं बनती बल्कि शब्द छवियों से भी बनती हैं। जैसे अगर हम कमल शब्द को लेते हैं तो हम सबके भीतर एक खिले कमल के फूल की छवि बनती है। जो कमल शब्द से अलग तरह की होती है। यानी हम सबने कमल को जिस रूप में देखा है, हमारे लिए वही कमल है। उदाहरण के लिए, अगर कहा जाए कि 'बालकनी में खड़ी लड़की उदास है।' तो हम सबके भीतर एक तरह की बालकनी बनती है। आज की भागम-भाग में इन अर्थ छवियों के लिए अवकाश नहीं रह गया है।*
>
> *— एक प्रतिभागी*

साथ स्वीकार करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। जैसे हिंदी में 'केनेडा' को 'कनाडा' कहना, 'ओलिंपिक्स' को 'ओलंपिक' कहना या चाइना को 'चीन', 'रशिया' को 'रूस' लिखना चलन में कम हो रहा है। हम उन शब्दों को उनके मूल उच्चारण के साथ रखने के आदी हो रहे हैं। यह प्रवृत्ति इस बात का संकेत है कि हाल के वर्षों में हिंदी एक आत्महीनता की शिकार हुई है। इसका वास्ता समाज की ताकत से ज्यादा है, भाषा की ताकत से कम। डॉ. राममनोहर लोहिया ने भाषा पर बहुत काम किया था। वे कहते थे कि शब्द माँजने से आता है। शब्दों को माँजा जाना चाहिए। शब्दों को माँज कर नए शब्द बनाने का जो हुनर हिंदी या दूसरी भाषाओं में था। वह धीरे-धीरे इन दिनों अंग्रेज़ी के सामने घुटने टेक रहा है। यह एक बड़ा संकट है। अंग्रेज़ी ने भी हिंदी से बहुत से शब्द लिए हैं और उसे लेकर अपने ढँग से गढ़ने का प्रयत्न किया है यानी हिंदी और अंग्रेज़ी के बीच आवाजाही बढ़ी है। हिंदी या किसी भी भाषा में हर भाषा के शब्दों को ताजा हवा की तरह बेरोकटोक आने देना चाहिए। पर हमें इस ओर ध्यान देना होगा कि हिंदी ने निरंतर अपने दरवाजे बंद करने की कोशिश की है। इसके सांस्कृतिक या ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं। पर हमें यह भी सोचना होगा कि जिन भाषाओं ने अपने दरवाज़े खुले रखे, वे ही फलती-फूलती भी रही हैं। ध्वनि, विचार, शब्द और वाक्य संरचना के स्तर पर भाषाओं का निरंतर मिलन-जुलन होता रहता है।

संवाद के प्रयास

सेकमोल लद्दाखी भाषा के मानकीकरण की दिशा में प्रयास कर रहा है। इसके लिए वे लद्दाखी लिपि में एक अख़बार रेवाई ओज़र (Rewai Odzer) और एक पत्रिका मेलांग (Melong) निकालते हैं। साथ ही इसने बच्चों की कहानियों को दोनों ही भाषाओं, अंग्रेज़ी और लद्दाखी, में सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

इसके अलावा यह प्राथमिक स्तर की ई.वी.एस. पाठ्यपुस्तकों एवं भाषा के विकास से भी जुड़ा हुआ है। यद्यपि ये पाठ्यपुस्तकें अंग्रेज़ी माध्यम में हैं लेकिन लद्दाखी भाषा की झलकियों के साथ। इनकी योजना है कि अध्यापकों के लिए इनका लद्दाखी संस्करण भी निकाला जाए। इस तरह जब धीरे-धीरे स्थानीय लद्दाखी भाषा में चीजें छपकर आने लगेंगी, तब लद्दाखी भाषा में पाठ्यपुस्तकों का आना संभव हो सकेगा।

— भारतीय भाषाओं का शिक्षण, आधार पत्र, 1-3, पृ.60-61

भाषा हमारे सरोकार से बनती है। देश-विदेश में जहाँ कहीं भी लोग मारे जा रहे हैं, अगर उनसे हमारा सरोकार नहीं है तो हमारी अभिव्यक्ति संवेदनहीन हो सकती है।

भाषा का मुद्दा एक बड़ी सामाजिक लड़ाई का भी मुद्दा है। इस लड़ाई में भाषा एक ज़रूरी औजार है। लेकिन हमें इस बृहत्तर लड़ाई में भाषिक अस्मिता पहचान कर अंग्रेज़ी के साथ संवाद करते हुए नए शब्द गढ़ने के प्रयास करने होंगे। अंग्रेज़ी के लेखकों ने यह काम किया है।

एक संभावना जनपदीय भाषाओं के शब्दों के ज़रिए बन सकती है। हिंदी जनपदीय भाषा से जितनी कटती गई उतनी ही इकहरी होती चली गई। मसलन रंग के, स्वाद के, संबंध के, कृषि और वाणिज्य के शब्द जितने जनपदीय अनुभव के हैं, उतने शहरी अनुभव के नहीं। मसलन दर्द संबंधी ऐसे बहुत से शब्द भोजपुरी में हैं जो हिंदी में नहीं हैं- दुखाता, बथता, पिराता, टभकता, कसकता, टसकता आदि। सभी शब्दों के अलग-अलग अर्थ संदर्भ हैं। एक भाषिक संस्कृति के रूप में हमें हिंदी को खड़ा करना है। शब्दों से मुठभेड करते हुए उसकी ताकत लौटानी है। इसलिए अंग्रेज़ी शब्दों के मुकाबले नए शब्द खोजने का बेहतर तरीका सोचना होगा। इस तरह भाषाओं के बीच शब्दों की आवाजाही और संवाद का रास्ता खोलना होगा।

***

6

मुद्दे और चुनौतियाँ

- **शिक्षक की तैयारी**
- **सामाजिक तैयारी**
- **प्रशासनिक तैयारी**

समझ के माध्यम को क्रियान्वित रूप देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। आज़ादी के लगभग 75 वर्षों के बाद भी हम यह तय नहीं कर पाए हैं। यह रास्ता अकेले एक शिक्षक, शिक्षा प्रशासन या शिक्षाविद् तय नहीं कर सकते। हमारे सामने तमाम ऐसे मुद्दे और चुनौतियाँ हैं जिसमें समुदाय, शिक्षक और प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसे समझना बेहद ज़रूरी है।

शिक्षक की तैयारी

एक अरसे के बाद अपनी भाषा की ओर लौटने की यह एक शुरुआत है। जिसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की है, जो बच्चों के माता-पिता के बाद बच्चों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है। छोटे बच्चों को स्कूल से जोड़ना, शिक्षा से जोड़ने का दायित्व शिक्षक के ऊपर ही है। स्कूल की भाषा और घर की भाषा में पुल बनाने का काम भी शिक्षक ही करता है। इस दूरी को तभी तय किया जा सकता है, जब शिक्षा बच्चे की भाषा में दी जाए। इसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 यह सिफारिश करती है कि आदिवासी क्षेत्रों में जिन शिक्षकों को नियुक्त किया जाए, उन्हें वहाँ की स्थानीय भाषा सिखाई जानी चाहिए। शिक्षक को वहाँ की स्थानीय भाषा में शिक्षण कराने के लिए उसे स्वायत्तता देनी पड़ेगी। कक्षा में बहुभाषिक बच्चों की पहचान कर उनका संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की स्वायत्तता भी इससे जुड़ी है।

- हमारे देश में बहुत-सी बोलियाँ और भाषाएँ हैं। बच्चों की भाषा में हमारे यहाँ अभी भी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। संविधान में 22 भाषाएँ सूचीगत हैं। समस्या यह है कि इन 22 भाषाओं में हमारे यहाँ पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। इसकी ज़िम्मेदारी शिक्षक और सरकार दोनों पर है। यदि सरकार अपने दायित्व को निभाने में असफल हो जाती है तो शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करे। एन.सी.एफ.– 2005 शिक्षक की इस स्वायत्तता की सिफ़ारिश करता है।

- शिक्षक को कक्षा में बच्चों को पढ़ाते समय अनुभव के आधार पर पाठ्य सामग्री तैयार करने की पहल करनी होगी। बच्चों की कक्षा की ज़रूरत के अनुसार विकसित होने के कारण यह सामग्री एक बेहतर पाठ्य सामग्री हो सकती है।
- अधिगम उस सामाजिक वातावरण/संदर्भ से बेहद प्रभावित होता है जहाँ से शिक्षार्थी और शिक्षक आते हैं। स्कूल और कक्षा का सामाजिक वातावरण सीखने की प्रक्रिया, यहाँ तक कि पूरी शिक्षा प्रक्रिया पर असर डालता है। इसको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी की मनोवैज्ञानिक विशिष्टताओं की जगह उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों की ओर अधिक बल देने की आवश्यकता है- इसमें समझ की भाषा की भूमिका की पहचान करानी होगी।
- शिक्षक को भाषा की व्यापक समझ होनी चाहिए।
- प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा (ओं) को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वे होती हैं। कक्षा 4 के बाद अगर समृद्ध और रुचिकर मौके दिए जाएँ, तो बच्चे स्वयं भाषा के मानक रूप को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे का घरेलू भाषा के प्रति उचित सम्मान का भाव बने रहना चाहिए। यह स्वीकार करें कि गलतियाँ, अधिगम का हिस्सा होती हैं और बच्चे जब इस लायक हो जाएँ तो वे स्वयं उसमें सुधार कर लेते हैं। गलतियों और कमियों पर ध्यान दिए जाने की बजाय अधिक समय बच्चों को विस्तृत, रुचिकर और चुनौतीपूर्ण निवेश दिए जाने चाहिए।
- सीखना किस प्रकार होता है, अध्यापकों में इसकी समझ बनाई जाए ताकि वे उसके अनुकूल माहौल बनाएँ।

मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई को समृद्ध करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी और बेहतर परिणाम निकलेंगे। इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएँ। मातृभाषा में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जाए ताकि शिक्षार्थी वह माध्यम अपनाने में संकोच न करे जिसमें वह आसानी से समझ सके।

— भारतीय भाषाओं का शिक्षण, राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र, 1-3 पृ- 15

- वंचित बच्चों और विभिन्न असमर्थताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं सहित सभी बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को समझें।
- दूसरी भाषा की पढ़ाई के तरीके की ओर भी शिक्षक को विशेष ध्यान देना होगा।
- पढ़ाने की ऐसी ठोस तैयारी होनी चाहिए जो व्यावहारिक हो और सैद्धांतिक भी।

- बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में कैसे इस्तेमाल करें इसका प्रशिक्षण किया जाना चाहिए।
- साथ ही यह भी बताया जाना चाहिए कि बहुभाषिकता की सीमाएँ क्या हैं?
- शिक्षक को निरंतर बच्चों के अभिभावकों से संवाद करना चाहिए।
- सेवापूर्व और सेवारत प्रशिक्षण कार्यों में ऐसे विषयों (समझ की भाषा, बहुभाषिकता, भाषाओं में संवाद और भाषाओं की स्थिति) को शामिल किया जाना चाहिए।
- विद्यालयों में बच्चों के बोलने-सुनने पर जोर दिया जाना चाहिए, केवल लिखने पर जोर न हो।

सामाजिक तैयारी

- आज हर समुदाय अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षित करना चाहता है। उन्हें समझाना होगा कि अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ा उनका बच्चा मातृभाषा में शिक्षित बच्चे की तुलना में कम सृजनात्मक होगा। वह स्कूल की शिक्षा को अपने जीवन से जोड़कर और समुदाय की वास्तविकताओं से तारतम्य बैठा पाने में सक्षम नहीं होगा। अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा-प्रणाली उनके लिए रटंत विद्या बनकर रह जाती है। यह समुदाय के प्रतिनिधि लोगों की जिम्मेदारी (जैसे गाँव की पंचायत) होनी चाहिए। उन्हें समझना होगा कि बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा उसे रचनात्मक होने के साथ-साथ आत्मविश्वास से पूर्ण और समर्थवान बनाती है। आज हमारे सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है कि हम समुदाय (अभिभावकों) की यह समझ किस रूप में बनाएँ।
- समाज के सामने माध्यम भाषा में पढ़ाई को लेकर मुख्य रूप से दो समस्याएँ हैं– एक आजीविका की समस्या और दूसरी सामाजिक प्रतिष्ठा या मान-सम्मान की। इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए एक बड़ी सामाजिक तैयारी की ज़रूरत महसूस की जा रही है, जिसमें मीडिया की बड़ी भूमिका हो सकती है। समाज में विभिन्न समुदायों और अभिभावकों से जुड़कर विश्वास दिलाना होगा कि अंग्रेज़ी ही एकमात्र पढ़ाई का माध्यम नहीं है।
- इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के मातृभाषा माध्यम से पढ़कर मुकाम पर पहुँचे और सफलता हासिल करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साक्षात्कार और अनुभवों को मीडिया (प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक, नुक्कड़ नाटक आदि) के माध्यम से उन तक पहुँचाया जाए।
- अपनी भाषा में पढ़कर काबिलियत हासिल करने वाले युवाओं से बातचीत एवं अनुभव को मीडिया के ज़रिए अभिभावकों तक पहुँचाया जाए ताकि इस भ्रम (अंग्रेज़ी ही सफलता की कुंजी है।) को तोड़ा जा सके।

अपनी भाषा में पढ़कर

राजस्थान राज्य सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम में प्रथम प्रयास में ही टॉपरों की श्रेणी (2007 में तृतीय स्थान) में उच्च स्थान पर सफल होकर जितेन्द्र कुमार सोनी ने एक अत्यंत गौरवपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। "प्रश्न– आपके अनुसार इस परीक्षा में हिंदी माध्यम को लेकर तैयारी एवं सफलता प्राप्त करने के बारे में क्या विचार हैं? सोनी - माध्यम का मेरी नजर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस माध्यम में हम अपने उद्‌गार व समझ को प्रभावी तरीके से व्यक्त कर सकें, वही माध्यम हमारे लिए उपयोगी भी है और उचित भी। हाल ही के परिणाम हिंदी के प्रति पूर्वाग्रह को तोड़ते नजर आते हैं।"

—प्रतियोगिता दर्पण/जनवरी/2010, पृष्ठ 46-48

- कुछ ऐसे विद्यालयों के उदाहरण सामने रखे जाएँ जिन्होंने मातृभाषा में शिक्षण कराकर अच्छे महत्वपूर्ण लोगों को तैयार किया है– जैसे नेतरहाट विद्यालय, सरदार पटेल विद्यालय। इनमें सरकारी स्कूलों को विशेष रूप से शामिल किया जाए।
- इस सामाजिक तैयारी में अध्यापक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अध्यापक अपने विद्यार्थियो के अभिभावकों के साथ ऐसी बैठकें आयोजित करें, जिसमें मातृभाषा के महत्त्व को केस स्टडी आदि के द्वारा बताएँ।

रोज़गार की चुनौती–1

आज बाज़ार की भाषा अंग्रेज़ी है। सिर्फ़ भाषायी ज्ञान के आधार पर अंग्रेज़ी जानने वाला उम्मीदवार रोज़गार शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जबकि देशी भाषा जानने वाला कुशल उम्मीदवार रोज़गार की दौड़ में पीछे रह जाता है। आखिर क्यों? आज यहाँ बाहरी बहुराष्ट्रीय कंपनियों इत्यादि में समझ का माध्यम अंग्रेज़ी है। रोज़गार के लिए समझ के माध्यम की दिशा में सरकार को सोचना होगा और अपनी कुछेक नीतियों में बदलाव लाना होगा। यद्यपि आज पूरे विश्व में मंदी का दौर आया है, इससे लोगों के बीच यह समझ बनने लगी है कि मात्र अंग्रेज़ी पढ़कर रोज़गार नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें रोज़गार की संभावना देशी भाषाओं में दिखने लगी है। इसे विश्वास में बदलने की चुनौती सरकार के सामने है।

– एक प्रतिभागी

- रोज़गार संबंधी समस्या से निपटने के लिए उद्योग धंधों में अपनी भाषा के महत्त्व पर विभिन्न रोज़गारों या क्षेत्रों में मातृभाषा शिक्षा के उपयोग (जैसे डॉक्टर, आई.ए.एस. आदि) को ध्यान में रखकर कहानी बुनते हुए नुक्कड़ नाटक आदि लिखे जाएँ और जगह-जगह (गाँव और शहर के स्कूलों में) खेले जाएँ। इसमें कुछ एन.जी.ओ. की सहायता ली जा सकती है।
- स्कूल का शिक्षक अपने दायित्व को निभा पाने में असमर्थ होता जा रहा है, बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिल पा रही है, शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में वहाँ के विद्यालयी प्रशासन यानी विद्यालय के प्रधानाचार्य का यह दायित्व बनता है कि वह बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करे, इसके लिए वे वहाँ के समुदाय की सहायता भी ले सकते हैं। बच्चों के ज्ञान-निर्माण के लिए प्रधानाध्यापक बच्चे, शिक्षक एवं समुदाय के बीच एक सेतु का काम करें। इस काम के लिए अपनी प्रशासनिक नीतियों को लचीला बनाएँ।

प्रशासनिक तैयारी

- सही मायने में गाँव-गाँव और बच्चे-बच्चे तक शिक्षा पहुँचाने के लिए राज्य स्तर पर हमें भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी। शिक्षा राज्य एवं केंद्र की साझी जिम्मेदारी है। मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए राज्य को हर स्तर पर यानी समुदाय, प्रशासन, विद्यालयी प्रशासन, शिक्षक इत्यादि सबके बीच तालमेल बैठाकर भरपूर तैयारी करनी होगी।
- इस तैयारी में केंद्र की बड़ी अहम भूमिका होगी। केंद्र का यह दायित्व है कि वह राज्यों के साथ तालमेल बनाए। इसके लिए शिक्षक, समुदाय, अभिभावक इत्यादि सबके साथ संगोष्ठी, परिचर्चा, संवाद, परिसंवाद करना होगा। इसके बाद केंद्र को इस तैयारी को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर शिक्षक और प्रशिक्षक तैयार करने होंगे, ताकि बच्चे को अपनी भाषा में बोलने, लिखने, पढ़ने और संवाद करने का अवसर मिले।
- अब शिक्षा के अधिकार का कानून पास हो गया है। इसके तहत विद्यालय समितियों को कुछ अधिकार देने होंगे। विद्यालय प्रबंध समितियों से समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 भी कहती है कि ऐसा करने से विद्यालयी प्रशासन अधिक लचीले हो सकेंगे। वे स्थानीय रूप से पाठ्य सामग्री तैयार करने में भूमिका निभा सकते हैं। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह एक बेहतर तरीका हो सकता है।

उच्च शिक्षा: एक चुनौती

जब बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय पहुँचता है तब सवाल उठता है कि उसकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय के पास सुविधाएँ हैं? अगर इसके लिए सुविधाएँ नहीं हैं तो क्या बच्चे को अपनी मातृभाषा में इम्तिहान देने का अधिकार है? अगर है तो क्या उसकी कॉपी का मूल्यांकन अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यार्थियों के समान किया जाता है? क्या वह पीएच. डी. के शोधप्रबंध को अपनी मातृभाषा में लिख सकता है? उच्च शिक्षा में समझ के माध्यम की समस्या हमारे लिए, विश्वविद्यालयों के लिए एवं देश के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है।

— एक प्रतिभागी

- शिक्षा के अधिकार का कानून लागू हो जाने पर लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली करने की भी आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के आने पर बड़ी संख्या में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने होंगे। इस पर विचार करने की आवश्यकता होगी।
- बच्चों की भाषा में पुस्तकों की उपलब्धता पर कोई कार्य योजना बनानी होगी।
- इस संबंध में राज्य सरकार एवं शिक्षकों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। संभव है कि बच्चों के लिए उनकी भाषा में पाठ्यपुस्तक निर्माण में लंबा समय लगे। इस लंबे समय के दरम्यान राज्य सरकारों एवं शिक्षकों को इस संबंध में संवाद कायम करना होगा। इस पर केंद्र सरकार की कोई आपत्ति भी नहीं है। मूलतः यह राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्णय है।
- हमारे यहाँ बहुत-सी भाषाएँ हैं इसलिए बच्चे के लिए तैयार की जाने वाली पाठ्य सामग्री में हमें उन भाषाओं की लोककथाओं, लोकगीतों और लोककलाओं इत्यादि को भी शामिल करना होगा। प्रत्येक भाषा के श्रेष्ठ लेखक हमारे देश में मौजूद हैं। इनकी सहायता से भी पाठ्यसामग्री तैयार की जा सकती है।
- समझ की भाषा के मद्देनज़र मौजूदा अध्यापक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों में बदलाव लाना होगा।
- भाषा संबंधी शोधों में अपनी भाषा और हिंदी में बेहतर शोध किए जाने की ज़रूरत होगी।
- हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में मौलिक रूप से विज्ञान, समाज-विज्ञान और कला आदि की पुस्तकें लिखने पर जोर दिया जाए। इसके लिए विश्वविद्यालयों से भी संपर्क किया जाना चाहिए।

- संदर्भ पुस्तकों/पाठ्यपुस्तकों के अंग्रेज़ी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए जाएँ और द्विभाषी तथा बहुभाषी शब्दकोशों को भी तैयार किया जाए।
- पहली से पाँच तक की कक्षाओं में क्रमशः कुछ विषय बच्चों की भाषा में पढ़ने-पढ़ाने पर बल दिया जाए। इसके लिए उनकी समझ को मजबूत आधार देने के लिए कुछ प्राइवेट स्कूलों से भी संवाद स्थापित किया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर भाषा, समाज-विज्ञान, विज्ञान आदि के शिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम चलाए जाने की बात पर विचार किया जाना चाहिए। इस पाठ्यक्रम में अपनी भाषा में विषयों की समझ के महत्त्व पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

रोज़गार की चुनौती–2

दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आज़ादपुर के ठीक सामने सड़क पार एक विशाल पुनआर्वासीय बस्ती है-जहाँगीरपुरी। बादशाह जहाँगीर की बादशाहत का मिज़ाज यहाँ रहने वाले लगभग हर बाशिंदे के व्यवहार में झलकता है। बस्ती के एक छोर पर सूखने की कगार पर पहुँची भलस्वा झील है तो दूसरी तरफ एक नहीं कई-कई झीलें हैं जिनमें जान फूँकते हैं-इस बस्ती के लोग। इसी बस्ती में प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) भी है जिसमें प्लम्बिंग, स्पाईनिंग, डाइंग, फिटर, प्रिंटिंग जैसे कई व्यावसायिक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। बात इस बस्ती के किनारे बसी-'अयोध्या टैक्सटाइल' और आई.टी.आई. के अजीबो-गरीब रिश्ते की है।

इस मिल में कपड़ा बनाने और उस पर छपाई का काम होता था। इसी कार्य के प्रशिक्षण से संबंधित काम होता था। इसी कार्य से प्रशिक्षण-संबंधित पाठ्यक्रम आई.टी.आई. में था। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त नवयुवकों को इस मिल में काम नहीं दिया जाता और अप्रशिक्षित लोगों को रख लिया जाता था। सभी के मन में एक ही विचार कुलबुलाया कि शायद प्रशिक्षित कामगारों को अधिक वेतन देना पड़ेगा इसलिए उन्हें काम पर नहीं रखा जाता पर आई.टी.आई. के प्राध्यापकों व प्रशिक्षणार्थियों के साथ जब मिल के कामगारों का संवाद हुआ तो बात स्पष्ट हुई। संस्थान में पूरी प्रक्रिया की जानकारी अंग्रेज़ी या मानक हिंदी में दी जाती है। मिल के पुराने कामगार देशज शब्दावली का इस्तेमाल करते थे जिसे संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर निकले युवक समझ नहीं पाते थे। अन्ततः कामगारों की देशज तकनीकी शब्दावली को पाठ्यक्रम से जोड़ा गया। सिर्फ़ एक पाठ्यक्रम नहीं बल्कि और भी पाठ्यक्रमों में ये कोशिशें हुईं और लोगों को स्थानीय मिलों में काम मिलना अब मुश्किल नहीं रहा।

— एक प्रतिभागी

परिशिष्ट-1
राज्यों में विभिन्न स्तर पर माध्यम भाषाएँ

क्र.	राज्य	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
1	आंध्र प्रदेश	तेलुगु, उर्दू, उड़िया, अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल	तेलुगु, उर्दू, उड़िया, अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल	तेलुगु, उर्दू, उड़िया, अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल
2	अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेज़ी, हिंदी	अंग्रेज़ी	अंग्रेज़ी
3	असम	असमिया, बांग्ला, बोडो, अंग्रेज़ी	असमिया, बांग्ला, बोडो, अंग्रेज़ी, हिंदी, अन्य	असमिया, बांग्ला, बोडो, अंग्रेज़ी, हिंदी, अन्य
4	बिहार	हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेज़ी	अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू	अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अन्य
5	छतीसगढ़	हिंदी, अन्य	हिंदी, अन्य	अंग्रेज़ी, हिंदी
6	गुजरात	गुजराती	अंग्रेज़ी, गुजराती, हिंदी	अंग्रेज़ी, गुजराती, हिंदी
7	गोवा	अंग्रेज़ी, कोंकणी, मराठी, उर्दू, कन्नड़	अंग्रेज़ी, मराठी	अंग्रेज़ी, मराठी
8	हिमाचल प्रदेश	अंग्रेज़ी, हिंदी	अंग्रेज़ी, हिंदी	अंग्रेज़ी, हिंदी
9	हरियाणा	अंग्रेज़ी, हिंदी	अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत	अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत
10	जम्मू और कश्मीर	डोगरी, अंग्रेज़ी, हिंदी, कश्मीरी, उर्दू	डोगरी, अंग्रेज़ी, हिंदी, कश्मीरी, उर्दू	डोगरी, अंग्रेज़ी, हिंदी, कश्मीरी, उर्दू
11	झारखंड	अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत	बांग्ला, अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत	बांग्ला, अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत
12	कर्नाटक	कन्नड़, अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, संस्कृत, अरबी	कन्नड़, अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, संस्कृत, अरबी	कन्नड़, अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, संस्कृत, अरबी
13	केरल	मलयालम, अंग्रेज़ी, तमिल, कन्नड़	मलयालम, अंग्रेज़ी, तमिल, कन्नड़	मलयालम, अंग्रेज़ी, तमिल, कन्नड़
14	मध्य प्रदेश	अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, मराठी	अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, मराठी	अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू
15	महाराष्ट्र	मराठी, हिंदी	अंग्रेज़ी, मराठी, हिंदी	अंग्रेज़ी, मराठी, हिंदी
16	मणिपुर	अंग्रेज़ी, हिंदी, मणिपुरी	अंग्रेज़ी, हिंदी, मणिपुरी	अंग्रेज़ी, हिंदी, मणिपुरी
17	मेघालय	अंग्रेज़ी, गारो, खासी	अंग्रेज़ी	अंग्रेज़ी

18	मिजोरम	मिजो अंग्रेज़ी	मिजो, अंग्रेज़ी	मिजो, अंग्रेज़ी
19	नागालैण्ड	अंगामी, आवो, अंग्रेज़ी, हिंदी, कोन्यक, लोथा, सेमा	अंगामी, आवो, अंग्रेज़ी, हिंदी, कोन्यक, सेमा	अंगामी, अंग्रेज़ी, हिंदी,
20	उड़ीसा	अंग्रेज़ी, उड़िया	अंग्रेज़ी, हिंदी, उड़िया	अंग्रेज़ी, हिंदी, उड़िया संस्कृत
21	पंजाब	अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी	अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी	अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी
22	राजस्थान	हिंदी	हिंदी	हिंदी
23	सिक्किम	अंग्रेज़ी	अंग्रेज़ी	अंग्रेज़ी
24	त्रिपुरा	बांग्ला, कोकबोरोक, अंग्रेज़ी	बांग्ला, अंग्रेज़ी	बांग्ला, अंग्रेज़ी
25	तमिलनाडु	अंग्रेज़ी, तमिल	तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, कन्नड़	तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, कन्नड़
26	उत्तराखंड	हिंदी	अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू	अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू
27	उत्तर प्रदेश	हिंदी	अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत	अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत
28	पश्चिम बंगाल	बांग्ला	बांग्ला, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, उड़िया, तमिल, तेलुगु, गुजराती, तिब्बतन, नेपाली	बांग्ला, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, उड़िया, तमिल, तेलुगु, गुजराती, तिब्बतन, नेपाली
29	अंडमान और निकोबार	बांग्ला, अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल, तेलुगु	बांग्ला, अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल, तेलुगु	बांग्ला, अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल, तेलुगु
30	चंडीगढ़	अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी	अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी	अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी
31	दादर और नगर हवेली	अंग्रेज़ी, गुजराती, हिंदी, मराठी	अंग्रेज़ी, गुजराती, हिंदी, मराठी, संस्कृत	अंग्रेज़ी, गुजराती, हिंदी, मराठी, संस्कृत
32	दमन और द्वीव	गुजराती, अंग्रेज़ी	गुजराती, अंग्रेज़ी	गुजराती, अंग्रेज़ी
33	दिल्ली	अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू	अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू	अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू
34	लक्षद्वीप	मलयालम	अंग्रेज़ी, मलयालम	अंग्रेज़ी, मलयालम
35	पुदुच्चेरी	अंग्रेज़ी, तमिल	अंग्रेज़ी, तमिल	अंग्रेज़ी, तमिल

स्रोत- इंप्लीमेंटेशन ऑफ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इन इंडियन स्कूल्स - ए स्टडी, भाषा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, 2009, पृ. 80-83

यह प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान समय में बहुत सी आदिवासी क्षेत्र की भाषाएँ माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगी है और इन भाषाओं में प्राथमिक स्तर पर सामग्री भी तैयार की जानी लगी है। भविष्य में और अधिक संख्या में भारतीय भाषाएँ (आदिवासी क्षेत्र की भाषाओं सहित) माध्यम भाषा के रूप में प्रयोग की जाएँ। यही इस पुस्तिका का उद्देश्य है।

संदर्भ

- शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, 1964-66, शिक्षा मंत्रालय, 1966.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, शिक्षा मंत्रालय.
- क्रियान्वयन का कार्यक्रम 1992 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986), शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय.
- राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा स्कूली शिक्षा 2000, एन.सी.ई.आर.टी.
- राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा 2005, एन.सी.ई.आर.टी.
- भारतीय भाषाओं का शिक्षा, आधार पत्र 1.3, 2006, एन.सी.ई.आर.टी.
- पटनायक, डी.पी. 1986, स्टडी आफ लैंग्वेज. रिपोर्ट. नई दिल्ली एन.सी.ई.आर.टी.
- भारतीय भाषाओं का शिक्षण, आधार पत्र 1.3, 2006, एन.सी.ई.आर.टी.
- गांधी, एम.के. हिंद स्वराज. भारतीय मत, 1909
- बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, कानून और न्याय मंत्रालय (विधान विभाग), भारत सरकार
- चॉम्स्की, एन.1959. रीव्यू ऑफ स्कीनर्स वर्बल बिहेवियर. लैंग्वेज 35.1ः 26-58
- व्योगोत्स्की, एल.एस.1978. माइंड इन सोसाइटीः द डेवेलपमेंट ऑफ हायर साइकोलॉजिकल प्रॉसेस. कैंब्रिज, मासः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- कूपर, के. (2009). लैंग्वेजः आवर मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जर्नल ऑफ इण्डियन एजुकेशन, वॉल्यूम XXXV, नंबर. 1. नई दिल्लीः एन. सी. ई. आर. टी. (ISSN: 0972-5628)
- कपूर, के. ईएलटी एंड सोशल जस्टिस इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम. बेबीलोनिया, टेमा 1, 2021, पृ. 24.
- भारतीय भाषाओं का शिक्षण, आधार पत्र 1.3, 2006, एन.सी.ई.आर.टी.
- होल्ट, जॉन. शिक्षा की बजाय. न्यूः बैलेंटाइन बुक्स, 1974.
- अंग्रेजी शिक्षण , आधार पत्र 1.4, 2006, एन.सी.ई.आर.टी.
- प्रभु. एन. एस. 1987. सेकेंड लैंग्वेज पेडागॉजी. ऑक्सफोर्डः न्यूयॉर्कः ऑक्सफोर्डः यूनिवर्सिटी प्रेस.
- डोवेरा, एस. 2005. इलेक्टिसिज्म इन मेथोडोलॉजी. एमएस., एनएफजी. इंग्लिश.
- फेलिक्स, पॉल. 1998. लर्निंग टू रीड इंग्लिशः द मिक्सड कोड वे. इन विवियन बेरी एण्ड ऑर्थर एमसी नेल (सम्पा.) पॉलिसी एण्ड प्रक्टिस इन लैंग्वेज एजुकेशन. हांग कांगः डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ हांग कांग. पृष्ठ.175-193

- वेस्ट, माइकल. 1941. लर्निंग टू रीड अ फॉरन लैंग्वेज लोंगमैनः यूके. (लर्निंग टू रीड अ फॉरन लैंग्वेज, एण्ड अदर एसेस ऑन लैंग्वेज टीचिंग. (न्यू एड.). लंदन, न्यूयॉर्क, लोंगमैन, ग्रीन (1955)
- मैथ-मेजिक, किताब 2, कक्षा दूसरी के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक, एन.सी.ई.आर.टी., 2007
- लुकिंग अराउंड , ऐंवायर्मेंट, स्टडीज, कक्षा तीसरी के लिए पाठ्यपुस्तक, एन.सी.ई.आर.टी. 2006
- वितान, भाग-1, कक्षा ग्यारहवीं के लिए सप्लिमेंट्री रीडर हिंदी में, एन.सी.ई.आर.टी., 2006
- हरिजन, 9-7, 38, पृष्ठ संख्या 177, महात्मा गाँधी के चयनित कार्य (खंड V) द वॉइस ऑफ ट्रुथ (कंप्लीट बुक ऑनलाइन) भाग-II खंड XI: बेसिक एजुकेशन एंड स्टूडेंट बेसिक एजुकेशन)
- <https://www.mkgandhi.org/voiceoftruth/basiceducation.htm> रीड अ
- इस किताब के प्रथम भाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अध्याय 4.11, 4.12, 4.14, 4.18, 22.6, 22.20
- भारतीय भाषाओं का शिक्षण, राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र

सारी तालीम विद्यार्थियों की क्षेत्रीय भाषा (मातृभाषा) द्वारा दी जानी चाहिए।

— नई तालीम, महात्मा गांधी

शिक्षा में मातृभाषा शिशु के लिए माँ के दूध समान है। जब तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाता, तब तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण संभव नहीं।

— रवीन्द्रनाथ टैगोर

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ncert.nic.in देखिए अथवा कॉपीराइट पृष्ठ पर दिए गए पतों पर व्यापार प्रबंधक से संपर्क कीजिए।

32084

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 978-93-5007-126-7